

सचिव विल्ल उत्तराखण्ड शासन देहरादून विल्ल अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/मूनिनि0/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 626/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2016-17 दिनांक 19.08.2016 द्वारा पुनःशिक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 19.08.2016 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्पत्ति) की दरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क भुगतान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

(डॉ० नीरज खैरवाल)  
जिलाधिकारी/कलेक्टर,  
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर।

पत्र संख्या--529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/छावनी क्षेत्र/नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक/सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रति।

(जगदीश चन्द काण्डपाल)  
अपर जिलाधिकारी (नजूल)  
ऊधमसिंहनगर।

नगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोड़/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोड़/ राजस्व ग्रामों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर को लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)						
				अकृषि / आवासीय भूमि की दर (को प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	वहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / रेस्तराँ/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1क	(क) 1-रामपुर-नैनीताल प्रांतीय राज मार्ग- 01 (नगर पालिका के अन्तर्गत) 2-रामराज रोड (लिक मार्ग) (नगर पालिका के अन्तर्गत) 3-बेरिया-दौलत लिक मार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	मौनाइस्लामनगर (1)-मजराप्रभु वार्ड न०-01 (2)-रेलवे कालोनी वार्ड न०-06 बिस्वीर मुण्डिया (1)-ईदगाह वार्ड न०-02 (2)-मुडिया बिस्वीर वार्ड न०-05 (3)-दीनी मिल वार्ड न०-10 (4)-सुभाष नगर वार्ड न०-08 मुण्डिया कला (1)-दीनी मिल वार्ड न०-10 चकरपुर (आलापुर) (1)-रामभवन वार्ड न०-03 (2)-गौधीनगर वार्ड न०-04 श्रीगाइस्लामनगर (1)-संजयनगर वार्ड न०-07 (2)-दीन मन्दिर वार्ड न०-11 (3)-मजराबक्श वार्ड न०-09 चकरपुर (आलापुर) (1)-रामभवन वार्ड न०-03 (2)-गौधीनगर वार्ड न०-04	423	9200	8100	21200	24500	23900	12000	7000
			423	9200	8100	21200	24500	23900	12000	7000

अध्यक्ष/नगरपालिका (वि./स.)  
उद्यम सिंह नगर !

# नगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर


क्र० /सं०	प्रमुख मार्ग / सौहार्द / राजस्व ग्रामों के नाम	प्रमुख मार्ग / सौहार्द / राजस्व ग्रामों के नाम (20 नवम्बर 2017 से नगर पालिका बाजपुर में जुड़े नये ग्राम)	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रु० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)			
				सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक					
				05	06	07	08	09	10	11
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
2	सामपुर-नैनीताल प्रान्तीय राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	भौताइस्लासनगर भौताइस्लासनगर वार्ड न०-12 मुण्डिया विस्तार बुक्सा छात्रावास वार्ड न०-18	100	9000	8300	21000	24300	23700	12000	7000
3	सामपुर-नैनीताल प्रान्तीय राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	1-ताली बुक्सा छात्रावास वार्ड- 18 2-महेशपुरा दोसाहा वार्ड न०-17 (आंशिक)	90	8700	7300	20700	24000	23400	12000	7000
4	सामपुर-नैनीताल राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	1-हरलातापुर दोसाहा वार्ड न०-17 (आंशिक) 2-खमरिया राजीवनगर वार्ड न०-20 (आंशिक)	90	8700	7300	20700	24000	23400	12000	7000
5	सामपुर-नैनीताल राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	चकरपुर आंशिक चकरपुर वार्ड न०-19 राजीवनगर वार्ड न०-20 (आंशिक)	95	8900	8000	20900	24200	23600	12000	7000
6	सामराज रोड लिक मार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	1- नन्दपुरनरका टीपा (1)नन्दपुर वार्ड न०-13 (2)मरियमपुर वार्ड न०- 14	66	7500	6600	19500	22700	22100	12000	7000

अपर विभागाधिकारी (वि./स.)  
उद्यम सिंह नगर

## नगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मॉडरो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लक्ष में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)					
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिट्टर में)	द्वितीय श्रेणी टैन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2	(क)	काशीपुर-रूद्रपुर मार्ग NH-74 (अन्तर्गत नगर पंचायत)	1- नगरपंचायत कालाखंडा (1) कालाखंडा (2) मडैया रस्ता 1- पुलिस थाना (वाड) 2- गांधीनगर (वाड) 3- मुजफ्फरनगर (वाड) 4- जामा मस्जिद (वाड) 5- कादरी मस्जिद (वाड) 6- फिदानगर (वाड) 7- आजादनगर (वाड) 8- रस्ता मडैया (वाड) 9- शास्त्रीनगर (वाड)	90	8300	7700	20500	23500	22900	12000	7000	
3	(क)	काशीपुर-रूद्रपुर मार्ग NH-74 (अन्तर्गत नगर पंचायत)	1- नगरपंचायत सुल्तानपुर (1) सुल्तानपुर (2) जगन्नाथपुर 1- शिवनगर (वाड) 2- गांधीनगर (वाड) 3- टाण्डा बजारा (वाड) 4- नेलानगर (वाड) 5- श्यामनगर (वाड) 6- आर्यनगर (वाड) 7- आर्दशनगर (वाड)	90	8300	7700	20300	23500	22900	12000	7000	

\*

  
 अखिलेश्वर सिंह  
 सहायक सचिव

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम क्र. 1	प्रमुख मार्ग / मीडो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मीडो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर ₹0 लाख से)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुसंवर्गीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परसैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन येश
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी0 तक		सड़क से 100 मी0 से अधिक	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	(क)	काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-मुल्तानपुर 2-जगन्नाथपुर 3-पिपलिया	87	8200	7200	20200	22500	21900	12000	7000
		काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-कनौरी 2-कनौरा	81	7900	7200	19900	22200	21600	12000	7000
		काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-ताली 2-महेशपुरा	76	8200	7200	20200	22500	21900	12000	7000
		काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-कैलाखंडा	82	8200	7200	20200	22500	21900	12000	7000
		काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-मडयारतना 2-बिबपुशे 3-टांडा आजम	82	7800	7200	19900	22000	21400	12000	7000


5

अपर विभागाधिकारी (वि. /  
उद्यम सिंह नगर !

# अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम खंड	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मीहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रु० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुमजलीलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टिन पोश
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2	(क)	रामपुर-कैनीताल राजमार्ग	1- चक्रपुर	91	8900	8000	20900	23300	22700	12000	7000
	(ख)	रामपुर-कैनीताल राजमार्ग	1- हरनालपुर 2- खमारिया	80	8600	7200	20600	23000	22400	12000	7000

4

  
 24.11.18  
 अणु सिलिकेरी (वि.रा.)  
 उपम सिंडीकेट

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम क्र.ख्या	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि मूँषि (प्रति हेक्टर पर रू० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन पेश	
					अकृषि / आवासीय मूँषि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक		सड़क से 100 मी० से अधिक	दुकान / स्टोर/ कार्यालय			अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
01				04	05	06	07	08	09	10	11	12
2	(ग)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-दियाहरी	48	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000	
	(घ)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-नमूना 2-हजीरा 3-दुलसनगंज 4-बरहैनी	41	6100	5400	18100	20200	19600	12000	7000	
	(ङ)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-हरीपुरा 2-खुकरैटा	41	5800	5000	17600	19700	19100	12000	7000	
	(च)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-पहाडपुर	27	5100	4500	17100	19100	18500	12000	7000	

5

*(Handwritten Signature)*

जनसुधार विभाग, बाजपुर तहसील, अर्द्धनगरीय क्षेत्र

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेक्टर (प्रति हेक्टर पर रु० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुसंजीवीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परिसर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टिन क्षेत्र
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक		सड़क से 100 मी० से अधिक	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	(क)	राजराज रोड लिंक मार्ग	1-केशोवाला 2-रानीनांगल	48	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000
	(ख)	राजराज रोड लिंक मार्ग	1-विक्रमपुर	69	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000
	(ग)	राजराज रोड लिंक मार्ग	1-किशनपुर. 2-रतनपुरी 3-रतनपुरा	48	6000	5500	18000	20100	19500	12000	7000
	(घ)	राजराज रोड लिंक मार्ग	1-बाजपुर खास	48	5500	5200	17500	19500	18900	12000	7000

★


*[Handwritten Signature]*



# अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर


25

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मोडो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोडो / राजस्व व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेक्टेयर (प्रति हेक्टेयर रु० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन पेश
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक		सड़क से 100 मी० से अधिक	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	(ड)	रामराज रोड लिंक मार्ग	1-फरीदपुर 2-नारायनपुर	24	5300	4500	17300	19300	18700	12000	7000
	(च)	रामराज रोड लिंक मार्ग	1-गुलडिया 2-गुलडिया गोबरा	21	4000	3500	16000	17900	17300	12000	7000

  
 उपर विभागाधिकारी (वि. प्र.)  
 उद्योग विभाग मन्सूर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम क्रमांक	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मीट्रो / रा जस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर ₹० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन घोरा				
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹० प्रति वर्ग मीटर)	व्यावसायिक भूमि की दर (₹० प्रति वर्ग मीटर)		दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान						
01															
4	(क)	बनाखेड़ा लिंक मार्ग	1-इकधरा	48	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000				
												सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		
	(ख)	बनाखेड़ा लिंक मार्ग	1-रैटा 2-बनाखेड़ा 3-धारनमंजरा	48	5800	5200	17800	19900	19300	12000	7000				
	(ग)	बनाखेड़ा लिंक मार्ग	1-टांडा अमीचन्द 2-खुशालपुर	21	4000	3600	16000	17900	17300	12000	7000				

  
 अधिकारी  
 तहसील बाजपुर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मौड़ो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौड़ो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रु० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुसंजीवीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान / रैस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनट्रपा श)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
5	(क)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	चकरपुर	91	8900	8000	20900	23300	22700	12000	7000
	(ख)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	लखनपुर	73	8200	7500	20200	22500	21900	12000	7000
	(ग)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	नरखडा	50	7300	5500	19300	21500	20900	12000	7000



अध्यापक (वि. / रा.)  
उद्यम सिंह नगर !

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

28

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मोह0 / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोह0 / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेक्टेयर (प्रति १०० लाख म <sup>२</sup> )	समान्य दर (Base Rate)		बहुमतीदीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर परिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर परिया प्रति वर्गमीटर)		नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी दीन पोश
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी0 तक		सड़क से 100 मी0 से अधिक	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
5	(घ)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	1-मजुवानगला	26	5300	4500	17300	19300	18700	12000	7000
	(ङ)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	1-बद्रीपुर 2-शिवपुरी	26	5300	4500	17300	19300	18700	12000	7000
	(च)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	1-बासखेडी 2-बासखेडा	21	4000	3500	16000	17900	17300	12000	7000
	(छ)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	1- बेरियादौलत	30	5800	5200	17800	19900	19300	12000	7000

अध्यक्ष  
उत्तरम सिंह नगर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम नं.ख्या	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहो / राज स्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर र लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक			इकान/ स्टेडरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर्पोश)	द्वितीय श्रेणी टिन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
6	(क)	मलौरिया रोड लिक मार्ग	1-गुमसानी 2-धनसारा 3-मुण्डिया मनी	52	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000	
	(ख)	मलौरिया रोड लिक मार्ग	1-गुमसानी	42	5800	5200	17800	19900	19300	12000	7000	
7		छोई लिक मार्ग	1-सरकडा 2-लुधपुरा 3-कचागांव	23	4300	4100	16300	18200	17600	12000	7000	

\*

  
 सहायक तहसीलदार  
 बाजपुर तहसील  
 बाजपुर जिला  
 बलरामपुर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्र.सं. नं.ख्या	प्रमुख मार्ग / सौहार्द / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / सौहार्द / राजस्व व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टर पर रु० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन घोरा
					अच्छे / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० से अधिक		वुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
01				05	06	07	08	09	10	11	12
8	(क)	मडैया हट्टू लिक मार्ग	हरसान	41	4900	4500	16900	18900	18300	12000	7000
					3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000
					3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000
	(ख)	मडैया हट्टू लिक मार्ग	मडैया हट्टू	26	3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000
					3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000
	(ग)	मडैया हट्टू लिक मार्ग	मडैया हट्टू	24	3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000
9		नई सड़क लिक मार्ग	1-भीकमपुरी 2-खम्बारी 3-महेली जंगल 4-महेली बोन	26	4300	4100	16300	18200	17600	12000	7000

4

24/11/19



# ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्र. सं. या	प्रमुख मार्ग / सौहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / सौहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेक्टेयर (प्रति एकड़ से)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		वहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		नौर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन पोंच
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान / शैस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
11	क	ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर	1-उच्चियानी जंगल 2- उच्चियानी दूली 3-गजरौला 4-गुलजारपुर	20	3800	3500	15600	16200	15600	12000	7000

★

*(Handwritten Signature)*


अपर निस्साधिकारी (वि. / स.)  
सहाय सिंह नगर !



## ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेक्टेयर (प्रति १०० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					₹० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक		सड़क से 100 मी० से अधिक	बहुसंजीवीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
11	ख	ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर	1-गोबरा 2-गंगापुर 3-चनकपुर 4-छितरी 5-जगतपुर 6-जोगीपुरा 7-विजयरपुरा 8-बैतखेड़ी 9-मजराखुशालपुर 10-मड्यागुलजारी 11-मड्या बक्शी 12-मलकणठपुर 13-मडैयादा 14-महताबवन 15-महुवाजाली 16-रजपुरा नं०-1 17-रजपुरा नं०-2 18-रमपुराकाजी 19-सैरिया	20	3800	3500	15800	16200	15600	12000	7000


\*

  
**अपर सिलेबलिकारी (वि./रा.)**  
**उद्यम सिंह नगर !**

ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेक्टेयर (प्रति १०० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर		शेर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		बहुमंजरीतीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्दरघोश)
01				05	06	07	08	09	10	11	12
11	ग	ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर	1-सामजीवनपुर 2-सामनगर 3-लकुवा 4-शौकानगला 5-सैमलपुरी 6-सन्तोषपुर 7-सरकडी 8-सिहाली 9-सीटनगंज 10-हिरदयपुर 11-कटीलाबोझ 12-चन्दनपुरा 13-महोला 14-टांडाखेम 15-टांडासहसूर 16-तोदपुरा 17-नूरपुर 18-पटोटी 19-बनगढ 20-बरयाला 21-बन्नाखेड़ा सामी 22-बाजावाला 23-विजयनगरलिया 24-कुकी	20	3800	3500	15800	16200	15600	12000	7000

★

अपर  कारी (वि. / श.)  
उद्यम सिंह नगर !

जनपद-उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें-

नगरीय क्षेत्र	3500 रु0 प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु0 प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु0 प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु0 प्रति वर्गमीटर

नोट-1. औद्योगिक दरों में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत बहुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु0 प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

★  
  
अध्यक्ष, नगरपालिका (वि.सं. 1/2017)  
उधम सिंह नगर

## गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका कार्गुल निम्नलिखित है :-


नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में ह्रास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :-  $D=P(1-RD/100)^N$   $RD = \frac{\text{भवन की औसत आयु}}{100}$

100

D = ह्रास मूल्य (Depreciated Value)		P = वर्तमान मूल्य		N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)			
1 वर्ष	0.990	26 वर्ष	0.770	51 वर्ष	0.598	76 वर्ष	0.465
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392
19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366

★

  
 सचिव शिष्ट नगर (वि. श.)

## सामान्य निर्देशिका:-

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-

1. यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-
  - (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्मिलित में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
5. एकल व्यावसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।
7. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप

1


सचिव सिडकुल नगर

- में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निषादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निषादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।
8. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के खसरा नम्बरान की सूची जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित दूरी के मानक के अनुसार सर्किल दर सूची में संलग्न की जायेगी तथा उक्त में अंकित खसरा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेखपत्रों के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अन्वया दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेखपत्र की प्रति स्टाम्प एक्ट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत परीक्षण की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी।
9. कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर अंकलित दर से होगा।
10. किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
11. बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित प्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
12. विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में स्वीकृत प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो, उसका विलेख में उल्लेख में किया जाना अनिवार्य होगा, एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाईसेन्स प्राप्त झपटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा उसकी स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाईसेन्स झपटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में लिन्टर पोश, टीनपोश अथवा प्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
13. प्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप ऑफ प्लैट एक्ट-1975 (यथा संशोधित यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
14. भूमि/सम्पत्ति के अन्तर्गत पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तद्दुसार विलेख के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मौहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
15. वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई हास मूल्य देय नहीं होगा।
16. भवनों की आयु निर्धारित के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। प्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।
17. भूमि/सम्पत्ति बाइण्ड्री वॉल के स्थित होने पर रूपया 1000/- चर्निग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
18. भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन रूपये-25000.00 प्रति बोरिंग की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
19. टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
20. किसी भी औद्योगिक इकाई में में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति यथा लिन्टर पोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।
21. किसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तर्गत होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्लूड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

4

2  
 11/11/18  
 सचिव  
 सचिव  
 सचिव

- 22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग / क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थानों पर निर्धारित है तो उच्चतम दर प्रभावी होगी।
- 23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
- 24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
- 25. किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभारता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
- 26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
  - (i) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि / सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि / सम्पत्ति के कृषि / अकृषि / आवासीय / अनावासीय / व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iii) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेन्ट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आव्हानित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iv) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या / बन्दोबस्त संख्या / खसरा संख्या / खेवट संख्या / राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तर्गत कृषि / अकृषि भूमि / सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख / मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (v) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित संड़क-सड़कों / मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (vi) पक्षकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का भाग माना जायेगा।

  
 (जागदीश चन्द्र काण्डपाल)  
 अथवा जिवाधिकारी,  
 उद्यम संहिता (वि./रा.)  
 उद्यम संहिता नगर !

सचिव विल्ल उत्तराखण्ड शासन देहरादून विल्ल अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/मूनिनि0/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड सम्भलित का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 626/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2016-17 दिनांक 19.08.2016 द्वारा पुनःशिक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 19.08.2016 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्भलित) की दरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क भुगतान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

(डॉ० नीरज खैरवाल)  
जिलाधिकारी/कलेक्टर,  
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर।

पत्र संख्या--529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/छावनी क्षेत्र/नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक/सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रति।

(जगदीश चन्द काण्डपाल)  
अपर जिलाधिकारी (नजूल)  
ऊधमसिंहनगर।



नगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोड़/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोड़/ राजस्व ग्रामों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर को लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)						
				अकृषि / आवासीय भूमि की दर (को प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	वहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / रेस्तराँ/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1क	(क) 1-रामपुर-नैनीताल प्रांतीय राज मार्ग- 01 (नगर पालिका के अन्तर्गत) 2-रामराज रोड (लिक मार्ग) (नगर पालिका के अन्तर्गत) 3-बेरिया-दौलत लिक मार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	मौनाइस्लामनगर (1)-मजराप्रभु वार्ड न०-01 (2)-रेलवे कालोनी वार्ड न०-06 बिस्वीर मुण्डिया (1)-ईदगाह वार्ड न०-02 (2)-मुडिया बिस्वीर वार्ड न०-05 (3)-दीनी मिल वार्ड न०-10 (4)-सुभाष नगर वार्ड न०-08 मुण्डिया कला (1)-दीनी मिल वार्ड न०-10 चकरपुर (आलापुर) (1)-रामभवन वार्ड न०-03 (2)-गौधीनगर वार्ड न०-04 श्रीगाइस्लामनगर (1)-संजयनगर वार्ड न०-07 (2)-दीन मन्दिर वार्ड न०-11 (3)-मजराबक्श वार्ड न०-09 चकरपुर (आलापुर) (1)-रामभवन वार्ड न०-03 (2)-गौधीनगर वार्ड न०-04	423	9200	8100	21200	24500	23900	12000	7000
			423	9200	8100	21200	24500	23900	12000	7000

अध्यक्ष/नगरपालिका (वि/स.)  
उद्यम सिंह नगर !

# नगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर


क्र० /सं०	प्रमुख मार्ग / सौहार्द / राजस्व ग्रामों के नाम	प्रमुख मार्ग / सौहार्द / राजस्व ग्रामों के नाम (20 नवम्बर 2017 से नगर पालिका बाजपुर में जुड़े नये ग्राम)	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रु० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टिन घोरा		
				सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक				वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
2	सामपुर-नैनीताल प्रान्तीय राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	भौताइस्लासनगर भौताइस्लासनगर वार्ड न०-12 मुण्डिया विस्तार बुक्सा छात्रावास वार्ड न०-18	100	9000	8300	21000	24300	23700	12000	7000
3	सामपुर-नैनीताल प्रान्तीय राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	1-ताली बुक्सा छात्रावास वार्ड- 18 2-महेशपुरा दोसाहा वार्ड न०-17 (आंशिक)	90	8700	7300	20700	24000	23400	12000	7000
4	सामपुर-नैनीताल राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	1-हरलातापुर दोसाहा वार्ड न०-17 (आंशिक) 2-खमरिया राजीवनगर वार्ड न०-20 (आंशिक)	90	8700	7300	20700	24000	23400	12000	7000
5	सामपुर-नैनीताल राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	चकरपुर आंशिक चकरपुर वार्ड न०-19 राजीवनगर वार्ड न०-20 (आंशिक)	95	8900	8000	20900	24200	23600	12000	7000
6	सामराज रोड लिक मार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	1- नन्दपुरनरका टीपा (1)नन्दपुर वार्ड न०-13 (2)मरियमपुर वार्ड न०- 14	66	7500	6600	19500	22700	22100	12000	7000

अपर विभागाधिकारी (वि/स)  
उद्यम सिंह नगर

## नगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मॉडरो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रू० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)					
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटर पर)	द्वितीय श्रेणी टैन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2	(क)	काशीपुर-रूद्रपुर मार्ग NH-74 (अन्तर्गत नगर पंचायत)	1- नगरपंचायत कालाखंडा (1) कालाखंडा (2) मडैया रस्ता 1- पुलिस थाना (वाडी) 2- गांधीनगर (वाडी) 3- मुजफ्फरनगर (वाडी) 4- जामा मस्जिद (वाडी) 5- कादरी मस्जिद (वाडी) 6- फिदानगर (वाडी) 7- आजादनगर (वाडी) 8- रस्ता मडैया (वाडी) 9- शास्त्रीनगर (वाडी)	90	8300	7700	20500	23500	22900	12000	7000	
3	(क)	काशीपुर-रूद्रपुर मार्ग NH-74 (अन्तर्गत नगर पंचायत)	1- नगरपंचायत सुल्तानपुर (1) सुल्तानपुर (2) जगन्नाथपुर 1- शिवनगर (वाडी) 2- गांधीनगर (वाडी) 3- टाण्डा बंजारा (वाडी) 4- नेलानगर (वाडी) 5- श्यामनगर (वाडी) 6- आर्यनगर (वाडी) 7- आर्दशनगर (वाडी)	90	8300	7700	20300	23500	22900	12000	7000	

\*

  
 अखिलेश्वर सिंह  
 सहायक सचिव

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम क्र. 1	प्रमुख मार्ग / मीडो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मीडो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टर/रू० लाख से)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुसंवर्गीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परसैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन येश
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक		सड़क से 100 मी० से अधिक	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	(क)	काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-मुल्तानपुर 2-जगन्नाथपुर 3-पिपलिया	87	8200	7200	20200	22500	21900	12000	7000
		काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-कनौरी 2-कनौरा	81	7900	7200	19900	22200	21600	12000	7000
		काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-ताली 2-महेशपुरा	76	8200	7200	20200	22500	21900	12000	7000
		काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-कैलाखंडा	82	8200	7200	20200	22500	21900	12000	7000
		काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-मडयारतना 2-बिबुपुशे 3-टांडा आजम	82	7800	7200	19900	22000	21400	12000	7000


5

अपर विभागाधिकारी (वि. /  
उद्यम सिंह नगर !

# अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम खंड	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रू० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुमजलीसीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परलैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)		वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2	(क)	रामपुर-कैनीताल राजमार्ग	1- चक्रपुर	91	8900	8000	20900	23300	22700	12000	7000
	(ख)	रामपुर-कैनीताल राजमार्ग	1- हरनालपुर 2- खमारिया	80	8600	7200	20600	23000	22400	12000	7000

4

  
 24.11.18  
 अणु सिलिकेटी (वि. / ए.)  
 उषम सिंह नगर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम क्र.ख्या	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि मूँषि (प्रति हेक्टर पर रू० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन पेश
					अकृषि / आवासीय मूँषि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक		सड़क से 100 मी० से अधिक	दुकान / स्टोर/ कार्यालय		
01				05	06	07	08	09	10	11	12
2	(ग)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-दियाहरी	48	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000
	(घ)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-नमूना 2-हजीरा 3-दुलसनगंज 4-बरहैनी	41	6100	5400	18100	20200	19600	12000	7000
	(ङ)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-हरीपुरा 2-खुकरैटा	41	5800	5000	17800	19700	19100	12000	7000
	(च)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-पहाडपुर	27	5100	4500	17100	19100	18500	12000	7000

5

*(Handwritten Signature)*

जनरल डिप्लोमा ऑफ एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर)  
उत्तर प्रदेश सरकार

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेक्टर (प्रति हेक्टर पर रु० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुसंजीवीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परिसर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टिन क्षेत्र											
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक		सड़क से 100 मी० से अधिक	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय			अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12											
3	(क)	राजराज रोड लिंक मार्ग	1-केशोवाला 2-रानीनांगल	48	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000											
												(ख)	राजराज रोड लिंक मार्ग	1-विक्रमपुर	69	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000
												(ग)	राजराज रोड लिंक मार्ग	1-किशनपुर. 2-रतनपुरी 3-रतनपुरा	48	6000	5500	18000	20100	19500	12000	7000
(घ)	राजराज रोड लिंक मार्ग	1-बाजपुर खास	48	5500	5200	17500	19500	18900	12000	7000												


★

*[Handwritten Signature]*

# अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

25


क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मौडो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौडो / राजस्व व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेक्टेयर (प्रति रू० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन पेश
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक		सड़क से 100 मी० से अधिक	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	(ड)	रामराज रोड लिंक मार्ग	1-फरीदपुर 2-नारायनपुर	24	5300	4500	17300	19300	18700	12000	7000
	(च)	रामराज रोड लिंक मार्ग	1-गुलडिया 2-गुलडिया गोबरा	21	4000	3500	16000	17900	17300	12000	7000

  
 उपर विभागाधिकारी (वि. प्र.)  
 उद्योग विभाग, मण्डल



अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम क्रमांक	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मीट्रो / रा जस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर ₹० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन घोरा										
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹० प्रति वर्ग मीटर)	व्यावसायिक भूमि की दर (₹० प्रति वर्ग मीटर)		दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान												
01																					
4	(क)	बनाखेड़ा लिंक मार्ग	1-इकधरा	48	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000										
												बनाखेड़ा लिंक मार्ग	1-रैटा	48	5800	5200	17800	19900	19300	12000	7000
	(ख)																				
	(ग)	बनाखेड़ा लिंक मार्ग	1-टांडा अमीचन्द 2-खुशालपुर	21	4000	3600	16000	17900	17300	12000	7000										

  
 अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर  
 उपस्थित अधिकारी (अ)

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मौड़ो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौड़ो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रु० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान / रैस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनट्रपा श)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
5	(क)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	चकरपुर	91	8900	8000	20900	23300	22700	12000	7000
	(ख)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	लखनपुर	73	8200	7500	20200	22500	21900	12000	7000
	(ग)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	नरखडा	50	7300	5500	19300	21500	20900	12000	7000

अध्यक्ष  
उद्योग विकास कारी (वि./रा.)  
उद्योग सिंह नगर !

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

28

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मोह0 / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोह0 / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेक्टेयर (प्रति १०० लाख म <sup>२</sup> )	समान्य दर (Base Rate)		बहुमतीदीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर परिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर परिया प्रति वर्गमीटर)		नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी दीन पोश								
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (१०० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी0 तक		सड़क से 100 मी0 से अधिक	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय			अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटपोश)						
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
5	(घ)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	1-मजुवानगला	26	5300	4500	17300	19300	18700	12000	7000								
					(ङ)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	1-बद्रीपुर 2-शिवपुरी	26	5300	4500	17300	19300	18700	12000	7000				
									(च)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	1-बासखेडी 2-बासखेडा	21	4000	3500	16000	17900	17300	12000	7000
													(छ)	बेरियादौलत लिंक मार्ग	1- बेरियादौलत	30	5800	5200	17800

अध्यक्ष  
उत्तरम सिंह नगर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम नं.ख्या	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहो / राज स्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर र लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		शेयर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	प्रथम श्रेणी (लिन्ट्रयोश)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)			वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
6	(क)	मलौरिया रोड लिक मार्ग	1-मुण्डिया अनी 2-धनसारा 3-मुण्डिया मनी	52	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000		
	(ख)	मलौरिया रोड लिक मार्ग	1-गुमसानी	42	5800	5200	17800	19900	19300	12000	7000		
7		छोई लिक मार्ग	1-सरकडा 2-लुधपुरा 3-कवागांव	23	4300	4100	16300	18200	17600	12000	7000		

\*

  
 सहायक तहसीलदार  
 बाजपुर तहसील  
 बाजपुर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्र.सं. नं.ख्या	प्रमुख मार्ग / सौहार्द / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / सौहार्द / राजस्व व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टर पर रु० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन घोरा								
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	अकृषि से 100 मी० तक		अकृषि से अधिक 100 मी० से अधिक	वुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय			अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान							
01				05	06	07	08	09	10	11	12								
8	(क)	मडैया हट्टू लिक मार्ग	हरसान	41	4900	4500	16900	18900	18300	12000	7000								
												26	3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000
												24	3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000
	(ख)	मडैया हट्टू लिक मार्ग	मडैया हट्टू	26	3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000								
												24	3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000
	(ग)	मडैया हट्टू लिक मार्ग	मडैया हट्टू	26	3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000								
												26	3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000
9		नई सड़क लिक मार्ग	1-भीकमपुरी 2-खम्बारी 3-महेली जंगल 4-महेली बोन	26	4300	4100	16300	18200	17600	12000	7000								

4

24/11/19

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर


क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रु० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपरस्ट्रिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर स्ट्रिया प्रति वर्ग मीटर)		शैकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटरोपेश)	द्वितीय श्रेणी टीन पेश	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		वाणिज्यिक भवन की दर	दर (प्रति वर्ग मीटर)					
01				04										
10	(क)	अन्य विशिष्ट ग्राम	1-भव्वानाला	26	4500	4300	16500	18500	17900	12000	7000	2-फतेहपुर		
			3-कल्याणपुर											
			4-महय्या कायम											
			5-केलाबन्वारी											
6-इटवा														
7-रमुरा शाकर														
8-बन्वारी														
9-बेनीरामपुर														
(ख)	अन्य विशिष्ट ग्राम	1-बिराहा	30	4700	4300	16700	18600	18000	12000	7000				
		(ग)	अन्य विशिष्ट ग्राम	मुकन्पुर	25	4000	3600	16000	17900	17300	12000	7000		
		(घ)	अन्य विशिष्ट ग्राम	गनेशपुर	25	4000	3600	16000	17900	17300	12000	7000		

✓

अध्यक्ष  
उद्यम सिंह नगर

ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्र. सं. या	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों के नाम	समाविष्ट ग्राम	सामान्य दर (Base Rate)							
				कृषि भूमि हेक्टयर (प्रति हेक्टयर (रु० लाख से))	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		वहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		नौर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन पोंच
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
11	क	ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर	1-उझियानी जंगल 2-उझियानी दूली 3-गजरौला 4-गुलजारपुर	20	3800	3500	15600	16200	15600	12000	7000


  
 अपर विस्वाधिकारी (वि. / व. / स.)  
 राधाम सिंह नगर !

## ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर

35

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामी कौ श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेक्टयर (प्रति १०० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					₹० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक		सड़क से 100 मी० से अधिक	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
11	ख	ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर	1-गोबरा 2-गंगापुर 3-चनकपुर 4-छितरी 5-जगतपुर 6-जोगीपुरा 7-विजयरपुरा 8-बैतखेड़ी 9-मजराखुशालपुर 10-मड्यागुलजारी 11-मड्या बक्शी 12-मलकणठपुर 13-मडैयादा 14-महताबवन 15-महुवाजाली 16-रजपुरा नं०-1 17-रजपुरा नं०-2 18-रमपुराकाजी 19-सैरिया	20	3800	3500	15800	16200	15600	12000	7000

\*


  
 जय शिवजीकाशी (वि./रा.)  
 उषम सिंह नगर !



ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेक्टेयर (प्रति १०० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर		शेर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		बहुमंजरीतीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिट्टरमीश)
01				05	06	07	08	09	10	11	12
11	ग	ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर	1-सामजीवनपुर 2-सामनगर 3-लकुवा 4-शौकानगला 5-सैमलपुरी 6-सन्तोषपुर 7-सरकडी 8-सिहाली 9-सीटनगंज 10-हिरदयपुर 11-कटीलाबोझ 12-चन्दनपुरा 13-महोला 14-टांडाखेम 15-टांडासहसूर 16-तोदपुरा 17-नूरपुर 18-पटोटी 19-बनगढ 20-बरयाला 21-बन्नाखेड़ा सामी 22-बाजावाला 23-विजयनगरलिया 24-कुकी	20	3800	3500	15800	16200	15600	12000	7000

★


अपर  कारी (वि. / श.)  
उद्यम सिंह नगर !

जनपद-उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें-

नगरीय क्षेत्र	3500 रु0 प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु0 प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु0 प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु0 प्रति वर्गमीटर

नोट-1. औद्योगिक दरें में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत महुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु0 प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

  
अध्यक्ष, नगरपालिका (वि.सं. 1/11/18)  
उधम सिंह नगर

## गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका कार्गुल निम्नलिखित है :-


नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में ह्रास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :-  $D=P(1-RD/100)^N$   $RD = \frac{\text{भवन की औसत आयु}}{100}$

100

D = ह्रास मूल्य (Depreciated Value)		P = वर्तमान मूल्य		N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)			
1 वर्ष	0.990	26 वर्ष	0.770	51 वर्ष	0.598	76 वर्ष	0.465
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392
19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366

★

  
 सत्यम सिंह नगर (वि. र.)  
 सत्यम सिंह नगर

## सामान्य निर्देशिका:-

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-


1. यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-
  - (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्मिलित में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
5. एकल व्यावसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।
7. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप

1

सचिव सिडकुल नगर



- 22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग / क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थानों पर निर्धारित है तो उच्चतम दर प्रभावी होगी।
- 23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
- 24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
- 25. किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभारता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
- 26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
  - (i) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि / सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि / सम्पत्ति के कृषि / अकृषि / आवासीय / अनावासीय / व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iii) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेन्ट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आव्हानित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iv) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या / बन्दोबस्त संख्या / खसरा संख्या / खेवट संख्या / राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तर्गत कृषि / अकृषि भूमि / सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख / मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (v) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित संड़क-सड़कों / मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (vi) पक्षकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का भाग माना जायेगा।

  
 (जागदीश चन्द्र काण्डपाल)  
 अथवा जिवाधिकारी,  
 उद्यम संहिता (वि./रा.)  
 उद्यम संहिता नगर !

आदेश

सचिव विल्ट उत्तराखण्ड शासन देहरादून विल्ट अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/म0नि0नि0/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 626/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2016-17 दिनांक 19.08.2016 द्वारा पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 19.08.2016 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्पत्ति) की दरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क भुगतान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

(ड0 नीरज खैरवाल)  
जिलाधिकारी/कलेक्टर,  
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर।

पत्र संख्या-529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि-निर्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विल्ट (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विल्ट (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/छावनी क्षेत्र/नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक/सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रती।

(जगदीश चन्द काण्डपाल)  
अपर जिलाधिकारी (नजूल)  
ऊधमसिंहनगर।

निबन्धन उप जिला जसपुर (उधमसिंहनगर) की प्रस्तावित सर्किल दरें

निबन्धन उप जिला जसपुर नगर पालिका क्षेत्र (वह क्षेत्र जो पूर्व से ही नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत था)


प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर				बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परिसर प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		प्रथम श्रेणी (लिनडर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक	व्यवसायिक दर		अन्य वाणिज्यिक परिसर प्रति वर्गमीटर			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	
क	काशीपुर से जसपुर-अफजलगढ़ मार्ग (लपकना पुल से होटल रेडीसन तक)											
	जसपुर पट्टी तिरमल, जसपुर पट्टी मंशा, जसपुर पट्टी उत्तम, अमृतपुर-वार्ड नं० 08,11,12,02,13	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		
2	जसपुर भूतपुरी मार्ग (ठाकुरद्वारा बस स्टैण्ड से कासमपुर मोड़ तक)											
क	मौजा जसपुर पट्टी नेतराम वार्ड नं० 03	500 लाख	12200	11000	13420	24200	28420	25420	12000	7000		
3	जसपुर पतरामपुर मार्ग (लकड़ी मण्डी चौराहे से आवास विकास की आखिरी सीमा तक)											
क	मौजा अमृतपुर-वार्ड 11, (जो खसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है)	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		

  
 उपर विभागाधिकारी  
 सशम सिंह




निबन्धन उप जिला जसपुर नगर पालिका क्षेत्र (वह क्षेत्र जो पूर्व से ही नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत था) 2

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	3	4	सामान्य दर									
					भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
		0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक	व्यवसायिक	अकृषि	से अधिक दर	अकृषि		व्यवसायिक दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिनट्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
1	2		3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
4	जसपुर से भगवन्तपुर मार्ग (जनता धर्म काँटा से टेलीफोन/बिजली घर तक)													
क	मौजा जसपुर पट्टी तिरमल, जसपुर पट्टी उत्तम-वार्ड नं०- 12	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000				
5	जसपुर से ठाकुरद्वारा मार्ग (ठाकुरद्वारा चुंगी मोड़ से परिणय वाटिका होते हुये स्व. श्री बाबू सिंह चौहान एडवोकेट के द्यूब वेल तक)													
क	जसपुर पट्टी नेतराम-वार्ड नं० 03	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000				

  
 उत्तम सिंह नगर  
 निवासीकारी वि. / स


निबन्धन उप जिला जसपुर नगर पालिका क्षेत्र (वह क्षेत्र जो पूर्व से ही नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत था)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (कियाया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)	नगर वाणिज्यिक			
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर				व्यवसायिक	व्यवसायिक दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	
1	जी.जी.आई.सी. से सरकारी अस्पताल होते हुए घास भण्डी तक											
क	जसपुर पट्टी कल्याण, अमृतपुर											
	भूप सिंह, जुलाहान, दिल्ली सिंह वार्ड नं0 4,7,8,	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		
2	सुभाष चौक से जैन मेडीकल होते हुये ठाकुर मंदिर तक											
	मौजा अमृतपुर, जसपुर पट्टी तिरमल											
क	अमृतपुर, मो. भूप सिंह, मो. बाजार, दिल्ली सिंह, वार्ड नं0 08,09,01	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		
3	ठाकुर मंदिर से अफजलगढ़ चौराहे तक											
	जसपुर पट्टी मंशा											
क	मो. गुजरतियान, नत्था सिंह, वार्ड नं0 03,02	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		

  
 उपपर प्रिंसिपल कारी (प्रि. कारी)  
 उपपर सिंह नगर


निम्नानु उप जिला जसपुर नगर पालिका क्षेत्र (वह क्षेत्र जो पूर्व से ही नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत था)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	सामान्य दर										
			भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिनडर पोश)	द्वितीय श्रेणी (डीनपोश)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
क	गुरुनानक स्वीट शॉप से शक्को वाली मस्जिद होते हुये सक्की मण्डी तक		कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	अकृषि	अकृषि								
क	मौजा अमृतपुर, जसपुर पट्टी कल्याण		500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		
क	मो. भूप सिंह, मो. बाजार, वार्ड नं० 08,07		500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		
क	पतरामपुर चौराहे से जैन मेडिकल स्टोर तक		500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		
क	मौजा जसपुर पट्टी उत्तम, जसपुर पट्टी तिरमल		500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		
क	छीपियान, नई बस्ती वार्ड नं० 09,11		500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		
क	ठाकुरद्वारा बस स्टैण्ड से पट्टी चौहान वाली जामा मस्जिद तक		500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		
क	जसपुर पट्टी नेतराम		500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		
क	मो. गुजरतियान, जसपुर पट्टी चौहान वार्ड नं. 03,05,06		500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		

  
 उपर लिखित नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत है।  
 सत्यम सिंह

निबन्धन उप जिला जसपुर नगर पालिका क्षेत्र (वह क्षेत्र जो पूर्व से ही नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत था)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर			बहुमजिलीय आवासीय भवन में रिश्त आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)	अन्य वाणिज्यिक भवन (तिन्दर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)	
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर) तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14
7	शर्मा बुक डिपो से सजी मण्डी तक										
मौजा जसपुर पट्टी कल्याण											
क	मो. बाजार, मो. भूप सिंह, वार्ड नं. 08										
	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		
8	जनता धर्मकांटे से ठाकुर मन्दिर तक										
मौजा जसपुर पट्टी तिरमल, जसपुर पट्टी उत्तम, जसपुर पट्टी मंशा											
क	नई बस्ती, छीपियान, नत्था सिंह, दिवला सिंह वार्ड नं0 12,10,01										
	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		

  
 उपर लिखितकारी (वि. /  
 उत्तम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (वह क्षेत्र जो पूर्व में अर्द्धनगरीय क्षेत्र में था अब नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित है)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	3	4	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर							गैर वाणिज्यिक
						भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिनडर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)	
0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक	अकृषि	अकृषि	व्यवसायिक	व्यवसायिक दर	व्यवसायिक दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर						13
1.	काशीपुर-जसपुर-अफजलागढ़ मार्ग		2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14
	गांगूवाला, अमृतपुर, तीरगढ़ी, जसपुर पट्टी मंशा, जसपुर पट्टी उत्तम, जसपुर पट्टी उत्तम,		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		
2.	जसपुर-भूतपुरी मार्ग		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		
	जसपुर पट्टी मंशा, जसपुर पट्टी नेतराम		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		
3.	जसपुर-एतरसमुपूर मार्ग (बड़े मन्दिर से अमृतपुर की अन्तिम सीमा तक)		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		
	जसपुर पट्टी अमृतपुर		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		
4.	जसपुर-भगवन्पुर-अमानाढ़ मार्ग (कैज-ए-आम इण्टर कॉलेज होते हुये बिजली घर/टेलीफोन एक्सचेंज तक)		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		
	जसपुर पट्टी उत्तम, जसपुर पट्टी तिरमल		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		
5.	जसपुर-ठाकुरधारा मार्ग		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		
	जसपुर पट्टी नेतराम		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		

अध्यापिका  
उपम सिर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उषमसिंहनगर (नगर पंचायत क्षेत्र महुवाडाबरा / हरिपुरा)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर							गैर वाणिज्यिक	
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिनडर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	
क												
	महुवाडाबरा (राजस्व ग्राम)											
	हरिपुरा (राजस्व ग्राम)		70.00लाख	4500	4200	4950	16500	22950	19950	12000	7000	
	वार्ड न0 1 दलित सैनी बस्ती											
	वार्ड न0 2 सूत फेक्ट्री कालोनी											
	वार्ड न0 3 अंसारियान											
	वार्ड न0 4 चौधरी कुम्हार बस्ती											
	वार्ड न0 5 मंगल बाजार											
	वार्ड न0 6 अंसारियान दक्षिणी											
	वार्ड न0 7 चौहानान											
सुरजनगर मार्ग (हरिपुरा महुवाडाबरा से देवीपुरा तक)												

*(Handwritten mark)*

अपर विभागाध्यक्ष  
जसपुर जिला

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (अर्द्धनगरीय ग्राम)

(नगर पालिका परिषद जसपुर एवं नगर पंचायत महुआडाबरा/हरिपुरा की सीमा के 2 किमी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक	
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर) तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		वाणिज्यिक	अन्य	प्रथम श्रेणी (लिनट्टर पोथ)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोथ)
1	काशीपुर-जसपुर-अफजलागढ़ मार्ग (कुण्डा से बहेड़ी तक अर्थात् जसपुर की अन्तिम सीमा तक)			0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर			सुपर एरिया दर	वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिनट्टर पोथ)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोथ)
				5	6	7	8	10	12	13	14
1 क	नाशायणपुर		44.00 लाख	4000	3800	4400	16000	19400	18800	12000	7000
1 ख	काशीपुर-जसपुर-अफजलागढ़ मार्ग (कुण्डा से बहेड़ी तक अर्थात् जसपुर की अन्तिम सीमा तक)										
	बहादुरपुर		40 लाख	3500	3300	3850	15500	18850	18250	12000	7000
1 क	जसपुर भूतपुरी मार्ग (तीरगाड़ी जसपुर पट्टी मंशा से नादेही तक एवं नादेही से पूरनपुर-धर्मपुर लिंक मार्ग (नादेही से धर्मपुर) राजपुर		38 लाख	3400	3200	3740	15400	18740	18140	12000	7000

Handwritten signature and date: 21/11/18

9

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (अर्द्धनगरीय ग्राम)

(नगर पालिका परिषद जसपुर एवं नगर पंचायत महुआडाबरा/हरिपुरा की सीमा के 2 किमी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम

प्रमुख मार्गों / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्गों/वाडों/मोहल्लों का नाम	वाड/मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर			वहुमजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)	नगर वाणिज्यिक	प्रथम श्रेणी (लिनट्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14
जसपुर से वाकुरद्वारा मार्ग (खेड़ा लक्ष्मीपुर से तालबपुर तक)											
1 क	खेड़ा लक्ष्मीपुर		38 लाख	3500	3300	3850	15500	18850	18250	12000	7000
जसपुर पतरामपुर मार्ग (कल्याणपुर से पतरामपुर तक)											
1 क	जमनीवाला		36 लाख	3300	3100	3630	15300	18630	18030	12000	7000
जसपुर से भगवत्पुर-अमानगढ़ मार्ग (मण्डुआखेड़ा से हजीरो तक)											
1 क	मण्डुआखेड़ा		35 लाख	3200	3000	3520	15200	18520	17920	12000	7000

✓

20/11/19

उपम संह नगर



निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (अर्द्धनगरीय ग्राम)

(नगर पालिका परिषद जसपुर एवं नगर पंचायत महुआडाबरा/हरिपुरा की सीमा के 2 किमी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम

प्रमुख मार्गों / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्गों / वार्डों / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	3	4	सामान्य दर				8	10	12	13	14
					भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दर	व्यवसायिक					
1	2			कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	5	6	7						
जसपुर से भगवन्तपुर-अमानाढ मार्ग (मण्डुआखेडा से हजीरो तक)													
	भगवन्तपुर जसपुर			35 लाख	3200	3000	3520	15200	18520	17920	12000	7000	
	निवारमुण्डी			35 लाख	3200	3000	3520	15200	18520	17920	12000	7000	
	मेधावाला			35 लाख	3200	3000	3520	15200	18520	17920	12000	7000	

\*

उपयुक्त कार्यकारी (उप) उधम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (अर्द्धनगरीय ग्राम)

(नगर पालिका परिषद जसपुर एवं नगर पंचायत महुआडाबरा/हरिपुरा की सीमा के 2 किमी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम

प्रमुख भागाँ / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख भागाँ / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		प्रथम श्रेणी (लिन्दर पोश)	द्वितीय श्रेणी (डीनपोश)
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दर		व्यवसायिक	व्यवसायिक सुपर एरिया दर		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14
जसपुर शरीकनगर मार्ग (जसपुर पट्टी मंशा से मुरलीवाला तक)											
क(1)	कासमपुर		35 लाख	3500	3200	3850	15500	18850	18250	12000	7000
	मुरलीवाला		35 लाख	3500	3200	3850	15500	18850	18250	12000	7000
	देवीपुरा		35 लाख	3500	3200	3850	15500	18850	18250	12000	7000

✍

*(Handwritten Signature)*

86

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (अर्द्धनगरीय ग्राम)

(नगर पालिका परिषद जसपुर एवं नगर पंचायत महुआडाबरा/हरिपुरा की सीमा के 2 किमी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम

12

प्रमुख भागा / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख भागा / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर		भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक	
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	अकृषि	अकृषि		व्यवसायिक	व्यवसायिक सुपर एरिया दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्डर पोथ)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	
जसपुर सन्यासियावाला-ठाकुरद्वारा भाग (नारायणपुर से सन्यासियावाला तक)												
क	सूरजपुर		30 लाख	2500	2300	2750	14500	17750	17150	12000	7000	
1	अहमदनगर		37 लाख	3500	3200	3850	15500	18850	18250	12000	7000	
ख	कलियावाला		37 लाख	3500	3200	3850	15500	18850	18250	12000	7000	
ग	गढ़ी हुसैन		37 लाख	3500	3200	3850	15500	18850	18250	12000	7000	

\*

उधम सिंह नगर

87

निवस्थन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

13

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / बार्ड / मोहल्लों का नाम	बार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टर लाख में)	सामान्य दर			व्यवसायिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		प्रथम श्रेणी (लिनडर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक			वाणिज्यिक	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
क 1 कुण्डा												
2	दादूवाला		44 लाख	4000	3500	4400	16000	18200	17600	12000	7000	
3	भवानीपुर		39 लाख	2500	2200	2750	14500	16550	15950	12000	7000	
ख 4	लालपुर		40 लाख	3400	3200	3740	15400	17540	16940	12000	7000	
5	बक्सौरा		40 लाख	3400	3200	3740	15400	17540	16940	12000	7000	

काशीपुर-जसपुर-अफजलगढ़ मार्ग (कुण्डा से बहेड़ी तक अर्थात् जसपुर की अन्तिम सीमा तक)

उधम सिंह नगर

**निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)**

14

प्रमुख भागों/ मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख भागों/वाडों/मोहल्लों का नाम	वार्ड/मोहल्लों के नाम	3	4	सामान्य दर			8	10	12	13	14
					भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर					
काशीपुर-जसपुर-अफजलगाढ मार्ग (कुण्डा से बहेड़ी तक अर्थात् जसपुर की अन्तिम सीमा तक)												
6	जनगतपुर पट्टी			40 लाख	3400	3200	3740	15400	17540	16940	12000	7000
7	गूलरगौजी			40 लाख	3400	3200	3740	15400	17540	16940	12000	7000
8	धर्मपुर			35 लाख	2500	2200	2750	14500	16550	15950	12000	7000
9	बहेड़ी			35 लाख	3200	3000	3520	15200	17320	16720	12000	7000
न 10	टीला			32 लाख	2800	2500	3080	14800	16880	16280	12000	7000

  
 उपर विवरणितकाली (११)  
 उधम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

प्रमुख मार्गों / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्गों / वाडों / मोहल्लों का नाम	वाड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		प्रथम श्रेणी (लिनट पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर		व्यवसायिक	व्यवसायिक दर		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14
काशीपुर-जसपुर-अफजलगाढ़ मार्ग (कुण्डा से बहेड़ी तक अर्थात् जसपुर की अन्तिम सीमा तक)											
11	विक्रमपुर		38 लाख	3200	3100	3520	15200	17320	16720	12000	7000
12	किशनपुर		38 लाख	3200	3100	3520	15200	17320	16720	12000	7000
13	उमरपुर मानक		32 लाख	2400	2100	2640	14400	16440	15840	12000	7000
जसपुर भूतपुरी मार्ग (तीरगढ़ी जसपुर पट्टी मंशा से नादेही तक) एवं नादेही से पूरनपुर-धर्मपुर लिंक मार्ग (नादेही से धर्मपुर तक)											
1	नादेही		37 लाख	3400	3200	3740	15400	17540	16940	12000	7000
2	पूरनपुर		37 लाख	3400	3200	3740	15400	17540	16940	12000	7000

Handwritten signature and date: 11/11/18

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वाडों / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर			व्यवसायिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किरया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		प्रथम श्रेणी (लिन्डर पोथ)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोथ)	
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर			वाणिज्यिक	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जसपुर से ठाकुरद्वारा मार्ग (खेड़ा लक्ष्मीपुर से तालबपुर तक)													
1	रहमापुर		36 लाख	3500	3200	3850	15500	17650	17050	12000	7000		
		तालबपुर	36 लाख	3500	3200	3850	15500	17650	17050	12000	7000		
जसपुर-पतरामपुर मार्ग (कल्याणपुर से पतरामपुर तक)													
3	कल्याणपुर		36 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000		
		बाढ़ियोवाला	30 लाख	2400	2200	2640	14400	16440	15840	12000	7000		

\*

उधम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	3	4	सामान्य दर			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (कियाया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्डर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
					भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर					
1	2				5	6	7	8	10	12	13	14
जसपुर-पतरामपुर मार्ग (कल्याणपुर से पतरामपुर तक)												
5	आमका			30 लाख	2400	2200	2640	14400	16440	15850	12000	7000
6	मलपुरी			30 लाख	2400	2200	2640	14400	16440	15850	12000	7000
7	पतरामपुर			32 लाख	2800	2600	3080	14800	16888	16288	12000	7000
जसपुर-अमानगढ़ मार्ग (मन्डुवाखेड़ा से हजीरो / खालीपार तक)												
1	रामनगर जसपुर			30 लाख	2500	2200	2750	14500	16550	15950	12000	7000
2	मनोरथपुर द्वितीय			30 लाख	2500	2200	2750	14500	16550	15950	12000	7000

अध्यक्ष (निबन्धनकारी विभाग) के द्वारा

उपमंडल अधिकारी (विभाग) के द्वारा

11/11/18



निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परिसर प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किसाया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		प्रथम श्रेणी (लिनडर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		व्यवसायिक दर	अन्य वाणिज्यप्रतिष्ठान सुपर दर		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14
जसपुर-अमानगढ़ मार्ग (मन्डुवाखेड़ा से हजीरो तक)											
3	खालीपार		30 लाख	2500	2200	2750	14500	16550	15950	12000	7000
4	हजीरो		30 लाख	2500	2200	2750	14500	16550	15950	12000	7000
कुण्डा-हरियावाला मार्ग (लालपुर से हरियावाला, शाहनज तक)											
1	बाबरखेड़ा		33 लाख	2500	2300	2750	14500	16550	15950	12000	7000
2	हरियावाला		35 लाख	3100	3000	3410	15100	17210	16610	12000	7000
3	शाहनज		35 लाख	3100	3000	3410	15100	17210	16610	12000	7000

  
 उपर लिखित मार्ग (विशिष्ट) उपर दिए गए

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)


प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक	
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर		व्यवसायिक	वाणिज्यिक दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिट्टर पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14
जसपुर-सन्ध्यासियोवाला-ठाकुरद्वारा मार्ग (नारायणपुर से सन्ध्यासियोवाला तक)											
2	सन्ध्यासियोवाला		35 लाख	3200	3000	3520	15200	17320	16720	12000	7000
कुण्डा से गढ़ीनेगी किलावली मार्ग (कुण्डा चौराहा से गढ़ीनेगी होते हुये किलावली तक)											
क 1	गिरध्यामुंशी		30 लाख	2400	2200	2640	14400	16440	15840	12000	7000
2	भरतपुर		35 लाख	3200	3100	3520	15200	17320	16720	12000	7000
3	करनपुर		35 लाख	3200	3100	3520	15200	17320	16720	12000	7000
4	गढ़ीनेगी		35 लाख	3200	3100	3520	15200	17320	16720	12000	7000

4

उधम सिंह नगर  
 उधम सिंह नगर  
 उधम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

प्रमुख भागों / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख भागों / वार्डों / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर			वहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर तक)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दर		व्यवसायिक	वाणिज्यिक दर		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14
कुण्डा से गढ़ीनेगी किलावली मार्ग (कुण्डा चौराहा से गढ़ीनेगी होते हुये किलावली तक)											
5	दुर्गापुर		35 लाख	3100	3000	3410	15100	17210	16610	12000	7000
6	नवलपुर		30 लाख	2500	2300	2750	14500	16550	15950	12000	7000
7	किलावली		30 लाख	2500	2300	2750	14500	16550	15950	12000	7000


  
 उपर विभागाधिकारी (वि. / ए. / ए.)  
 उधम सिंह नगर

**निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)**

21

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	3	4	सामान्य दर			8	10	12	13	14
					भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर					
				कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	अकृषि	अकृषि	व्यवसायिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिनडर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1	हलदुआ शाहू			37 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000
ख 2	अभियावाला			37 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000
3	बैतवाला			37 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000
7	नगरिया सुल्तान			37 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000
8	वीरपुरी			37 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000
9	हमीरावाला			37 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000

✓

  
 सहायक निरीक्षक (वि. 2015)  
 सहायक निरीक्षक (वि. 2015)

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (ग्रामीण क्षेत्र)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वाडों / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर			बहुमजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर विहित क्षेत्र मूल्य)	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्डर पोथ)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोथ)
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक अकृषि	100 मीटर से अधिक अकृषि					
क 1	अनादपुर		28 लाख	2200	2100	2420	14200	15920	15020	12000	7000
2	गौरा		28 लाख	2200	2100	2420	14200	15920	15020	12000	7000
3	भूजा		28 लाख	2200	2100	2420	14200	15920	15020	12000	7000
ख 4	भोगपुर जसपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
5	जगदीशावाला		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
7	केसरीपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000

4

उधम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (ग्रामीण क्षेत्र)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों के नाम	3	4	सामान्य दर			8	गैर वाणिज्यिक भवन		13	14	
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर				
		0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक	व्यवसायिक	5	6	7	9	10	11	12	
		अकृषि	अकृषि		अकृषि	अकृषि		सुपर एरिया दर	सुपर एरिया दर	वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्टर् पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1												
8	गणेशपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000	
9	जगतपुर जसपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000	
10	शिवराजपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000	
11	टांजा प्रभापुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000	
12	मकोनिया		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000	
13	चक राय जवाहर सिंह		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000	


उधम सिंह नगर

**निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (ग्रामीण क्षेत्र)**

24

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	3	4	सामान्य दर			8	गौणव्ययक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक	
					भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दर		व्यवसायिक	व्यवसायिक दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्दर पोश)
1					5	6	7	वहुमजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	व्यवसायिक दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	13	14
14	रायपुर पट्टी दिवला			25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
15	रायपुर पट्टी हरंजी			25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
16	रायपुरपट्टी लेखराज			25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
17	रायपुर पट्टी लोकमन			25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000

✱

  
 उधम सिंह नगर ।  
 (वि./रा.)

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (ग्रामीण क्षेत्र)

25

प्रमुख भागाँ / मोहल्ला की श्रेणी	प्रमुख भागाँ / वार्ड / मोहल्ला का नाम	वार्ड / मोहल्ला के नाम	3	4	सामान्य दर			8	10	12	13	14
					भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक					
1					5	6	7					
18	आसपुर			25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
19	चक आसपुर			25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
20	चक जगतपुर			25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
21	चतरपुर बगीची			25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
22	कृपाचार्यपुर			25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
23	मलपुरा			25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
24	सीपका			25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000

4

उधम सिंह नगर  
 उधम सिंह नगर (वि./स.)  
 07/11/18



100

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (ग्रामीण क्षेत्र)

26


प्रमुख भागों / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख भागों / वार्ड / मोहल्लों का नाम	3	4	सामान्य दर			8	गैर वाणिज्यिक भवन		13	14
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)	गैर वाणिज्यिक भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्डर पोश)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14
25	मिल्क सीपका		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
26	मनोरथपुर प्रथम		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
27	मनोरथपुर तृतीय		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
28	फजलपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
29	पट्टी बाले		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000
30	बगवाड़ा		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000

उधम सिंह नगर / रा.)  
11/10/18

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (ग्रामीण क्षेत्र)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	3	4	सामान्य दर			8	वाणिज्यिक भवन		13	14
					भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	व्यवसायिक	वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	
31	परतौरा		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000	
32	ढाढीपुरा		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000	
33	ढकिया हरचन्द		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000	

+


  
 उपर विभागाधिकारी (वि. / रा.)  
 तथम सिद्ध नगर

जनपद-उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें-

नगरीय क्षेत्र	3500 रु0 प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु0 प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु0 प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु0 प्रति वर्गमीटर

नोट-1. औद्योगिक दरें में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत महुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु0 प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

★  
  
उप निबन्धक काशीपुर (उप-निबन्धक काशीपुर)

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका कार्मुला निम्नलिखित है :-

नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में झरस लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :-  $D=P(1-RD/100)^N$

$RD =$  भवन की औसत आयु

**D = झरस मूल्य (Depreciated Value) P = वर्तमान मूल्य N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)**

वर्ष	0.990	26 वर्ष	0.770	51 वर्ष	0.598	76 वर्ष	0.465
1	0.990	27	0.762	52	0.592	77	0.461
2	0.980	28	0.754	53	0.587	78	0.456
3	0.970	29	0.747	54	0.581	79	0.452
4	0.960	30	0.739	55	0.575	80	0.447
5	0.950	31	0.731	56	0.569	81	0.443
6	0.941	32	0.724	57	0.563	82	0.438
7	0.932	33	0.717	58	0.558	83	0.434
8	0.927	34	0.710	59	0.552	84	0.429
9	0.913	35	0.703	60	0.547	85	0.425
10	0.904	36	0.696	61	0.541	86	0.421
11	0.890	37	0.689	62	0.536	87	0.417
12	0.880	38	0.682	63	0.530	88	0.412
13	0.870	39	0.675	64	0.525	89	0.408
14	0.868	40	0.668	65	0.518	90	0.404
15	0.860	41	0.662	66	0.515	91	0.400
16	0.851	42	0.655	67	0.509	92	0.396
17	0.842	43	0.649	68	0.504	93	0.392
18	0.834	44	0.642	69	0.499	94	0.388
19	0.826	45	0.636	70	0.494	95	0.384
20	0.817	46	0.629	71	0.489	96	0.381
21	0.809	47	0.623	72	0.484	97	0.377
22	0.801	48	0.617	73	0.480	98	0.373
23	0.793	49	0.611	74	0.475	99	0.369
24	0.785	50	0.605	75	0.470	100	0.366
25	0.777						

★

सचिव सिंह नगर !

## सामान्य निर्देशिका:-

109

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-


1. यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-
  - (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूत्री में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
5. एकल व्यावसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्ण विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।
7. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप

1

सचिव, वित्त निगम



- 22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम दर प्रभावी होगी।
- 23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
- 24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्ताम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्ताम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
- 25. किसी विलेख पर स्ताम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
- 26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
  - (i) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iii) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेंट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आव्यक्तित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iv) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित कृषि/अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (v) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क-सड़कों/मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (vi) पक्षकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्ताम्प एक्ट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का भाग माना जायेगा।

  
 (जगदीश चन्द्र काण्डपाल)  
 अपर जिवाधिकारी,  
 अधीनस्थ नगरपालिका (वि./वा.)  
 उद्यम सिंह नगर !

सचिव विलत उत्तराखण्ड शासन देहरादून विलत अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/मोनि0नि0/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड सम्प्रति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 626/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2016-17 दिनांक 19.08.2016 द्वारा पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 19.08.2016 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्प्रति) की दरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क भुगतान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

आदेश

(डॉ० नीरज खैरवाल)  
जिलाधिकारी / कलेक्टर,  
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी / कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर।

पत्र संख्या-529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विलत (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विलत (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. सपरत उप जिलाधिकारी / तहसीलवार / उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. सपरत अधिशासी अधिकारी / नगर निगम / नगर पालिका परिषद / छावनी क्षेत्र / नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक / सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रति।

(जगदीश चन्द काण्डपाल)  
अपर जिलाधिकारी (नजूल)  
ऊधमसिंहनगर।



तहसील काशीपुर के मुख्य मार्ग / नगरीय मौहल्ले / वार्ड की दरें

प्रमुख मार्ग / वार्ड / मौहल्ले का नाम

सामान्य दर

क्र.सं. प्रमुख मार्ग / वार्ड / मौहल्ले का नाम	वार्ड / मौहल्लों के नाम	भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन		गैर वाणिज्यिक		
		कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	100 मी० तक रु० में	100 मी० से अधिक रु० में		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर्प्रा या)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)	
1	रामनगर रोड- महाराणा प्रसाद चौक से राजकीय चिकित्सालय तक- द्रोणासागर- मौहल्ला गंज, जसपुरखुर्द, काजीबाग आशिक, सिंघान गंज- मौहल्ला गंज, काजीबाग आशिक कटरमालियान आशिक कटोरताल पूर्वी मौहल्ला-कटोरताल आशिक काजीबाग आशिक बाजपुर रोड- महाराणा प्रताप चौक से आवास विकास मोड तक द्रोणासागर-काजीबाग आशिक, पटेलनगर राजकीय चिकित्सालय से रेलवे फाटक तक कटोरताल- गीझडा, गिरीताल, कटोरताल पूर्वी आवास विकास- मौहल्ला आवास विकास कटोरताल मध्य मौहल्ला- कटोरताल पूर्वी आवास विकास मोड से वैली मोड तक सुभाषनगर- मौहल्ला- सुभाषनगर, आवास विकास आशिक कुण्डेश्वरी रोड									
		415.00	14000	8300	26000	60000	55000	12000	7000	
		360.00	13000	7200	25000	60000	55000	12000	7000	
		425.00	11000	8500	23000	65000	55000	12000	7000	
		1								

(11)

✓

अपर विकासिकारी वि. / व. / उपम सिंह नगर

अपर विकासिकारी वि. / व. / उपम सिंह नगर




	अन्य मौहल्ले																	
11	सिखान, मौहल्ला- सिखान काजीबाग- मौहल्ला- काजीबाग	378.00	11000	7700	24200	50600	49500	12000	7000									
	ख खत्रियान मो० खत्रियान, किला, बासकोडान, औखान	289.00	9400	5800	22000	48400	44000	12000	7000									

तहसील काशीपुर के वह क्षेत्र जो पूर्व में अर्द्धनगरीय क्षेत्र थे अब नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित है सामान्य दर

क्रम सं०	प्रमुख बाडों मौहल्ले की श्रेणी	प्रमुख भागों / बाडों / मौहल्ले का नाम	बाड / मौहल्ले के नाम	भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमल्लिय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन		नैर वाणिज्यिक	
				कृषि भूमि (प्रति हैक्टर लाख में)	100 मी० तक	100 मी० से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिशत	प्रथम श्रेणी (लिनट्रयो श)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
क		कचनालगाजी, खडकपुर देवीपुरा, जसपुरखुर्द, लज्बैन, गीझडा, पसियापुरा		115.00	5500	5300	18300	55000	49500	12000	7000
ख		रम्पुरा, डकिया गुलाबो, सरवरखेडा, बैलजुडी		101.00	4700	4400	17500	42900	31900	12000	7000
ग		कुर्ओखेडा		92.00	3900	3600	16800	27500	26400	12000	7000
घ		कचनालगुसाई, हेम्पुर ईसाहल, कुण्डेश्वरा, साइखेडा		89.00	3100	2500	16200	27500	26400	12000	7000
ङ		दोहरी परसा		47.00	2500	2200	15200	24200	23100	12000	7000

3

  
 अप्प किलानिकारी (वि. नं.)  
 उषम सिंह नगर

तहसील काशीपुर की अर्द्धनगरीय एवं विशिष्ट ग्रामों/मुख्य मार्ग/ग्राम की दरें


क्रम सं०	प्रमुख वडों की श्रेणी	ग्राम का नाम	कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर लाख में)	भूमि/सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन से स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक			
				100 मीटर तक	100 मीटर से अधिक		दुकान/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	निर्माण की दर प्रति वर्गमीटर	प्रथम श्रेणी (लिट्रपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)	
1		शमनगर रोड, रेलवे फाटक से प्रतापपुर तक		1. कचनारगाजी	5300	5000	18400	52800	44000	12000	7000	
				2. नीझड़ा	5300	5000	18700	47300	42900	12000	7000	
				3. रम्पुरा	4500	4200	17500	42900	31900	12000	7000	
				4. मानपुर								
				5. खरमासी								
				6. लक्ष्मीपुर लखी	2600	2400	15800	26400	22000	12000	7000	
				7. भगवन्तपुर काशीपुर								
				8. धनौरी पट्टी								
2		केलाखेड़ा से कुन्डेश्वरी जंक्शन तक		1. प्रतापपुर	2600	2400	15800	26400	22000	12000	7000	
				ख	2. खरमासा							
3		काशीपुर कुण्डेश्वरी रोड		3. दोहरी वकील	2400	2200	15800	25300	22000	12000	7000	
				4. पट्टी भञ्जर								
				5. शिवलालपुर डल्लू								
				6. नन्दरामपुर								
				7. रामनगर काशीपुर								
				क	1. जसपुरखुर्द	5300	5000	18900	58300	49500	12000	7000
				ख	2. उज्जैन							
4		काशीपुर कुण्डेश्वरी रोड		3. कुआँखेड़ा	3700	3400	16800	27500	26400	12000	7000	
				4. गंगापुर गुंसाईं								
				5. कुन्डेश्वरी								

आयुक्त, तहसील काशीपुर (वि. / ए. 1)



पुरादाबाद असीगज रोड-										
8		1. पसियापुरा	99.00	5300	4600	17900	41800	38500	12000	7000
	ख	2. गिनीखेडा	80.00	2600	2500	16300	25300	23100	12000	7000
	ग	3. बासखेडा कला								
		4. बासखेडाखुर्द	49.00	2400	2300	15400	19800	18700	12000	7000
		5. गिरघ्याई								
		6. बघेलेवाला								
		7. पैगा								
9		ढकिया गुलाबां महुआखेडागज मार्ग-								
	क	8. ढकिया गुलाबां	92.00	4500	4400	17900	33000	30800	12000	7000
	ख	9. रायपुरखुर्द								
		10. शिवलालपुर अमरझाडा	38.00	2600	2300	15200	22000	19800	12000	7000
		11. गुलडिया								

6

  
 ग्राम विकासिकारी (दि. / व.)  
 उद्यम सिंह नगर

तहसील काशीपुर की ग्रामीण क्षेत्र की दरें

सामान्य दर

क्रम सं०	प्रमुख श्रेणी	प्रमुख मार्गा / वार्ड / मौहल्ले का नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक	
				100 मीटर तक	100 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	निर्माण की दर प्रति वर्गमीटर (लिन्ट्रथोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनथोश)
1		1. भोगपुर काशीपुर- 2. चाँदपुर 3. गढ़ीगाँज 4. गढ़ीइन्द्रजीत 5. फिरोजपुर	77.00	2600	2200	15200	26400	24200	12000	7000
	क	6. पञ्चावाला 7. डकिया कला 8. सीतारामपुर 9. जुड़का 10. गोपीपुरा	55.00	2300	2100	15200	26400	24200	12000	7000
	ख	11. कुदईयावाला 12. कटैया 13. दभौरा एहतमाली 14. पट्टी हऊ 15. बरखेड़ा पाण्डे 16. जनानाथपुर 17. गौधीनगर	38.00	2200	2000	15000	24200	22000	12000	7000
	ग	18. झाड़पुर 19. हेमपुर दया 20. दिसादियावाला 21. झंझोड़ी 22. रामजीवनपुर	45.00	2200	2000	15000	22000	19800	12000	7000
	घ		23.00	1600	1500	12100	15300	12500	10000	5000
2	क	महुआखेड़ागाँज नगरपालिका समस्त वार्ड	94.00	3200	3000	15500	28000	22000	12000	7000

नगरपालिका महुआखेड़ागाँज


महेश चन्द्र शर्मा (वि/स)

जनपद-उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें-

नगरीय क्षेत्र	3500 रु0 प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु0 प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु0 प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु0 प्रति वर्गमीटर

नोट-1. औद्योगिक दरों में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत बहुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु0 प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

★  
  
 उधमसिंहनगर जिला (वि.सं. 7102)  
 जनपद उधमसिंहनगर



## गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका कार्मुला निम्नलिखित है :-


नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में झस लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :-  $D=P(1-RD/100)^N$

$RD = \frac{\text{भवन की औसत आयु}}{100}$

100

वर्ष	D = झस मूल्य (Depreciated Value)	P = वर्तमान मूल्य	N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)	वर्ष	D = झस मूल्य (Depreciated Value)	P = वर्तमान मूल्य	N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)	वर्ष	D = झस मूल्य (Depreciated Value)	P = वर्तमान मूल्य	N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)
1	0.990	26	0.770	51	0.598	76	0.465				
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461				
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456				
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452				
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447				
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443				
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438				
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434				
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429				
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425				
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421				
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417				
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412				
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408				
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404				
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400				
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396				
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392				
19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388				
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384				
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381				
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377				
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373				
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369				
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366				

  
 वर्यम सिंह नगर (वि. व. स.)  
 वर्यम सिंह नगर

## सामान्य निर्देशिका:-

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/स्वाम्-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-

1. यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-

- (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,

2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।

3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।


5. एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।

7. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियाँ हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप



22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम दर प्रभावी होगी।
23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
25. किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभारता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
  - (i) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iii) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेन्ट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iv) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तर्गत कृषि/अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (v) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क-सड़कों/मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (vi) पक्षकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का भाग माना जायेगा।

  
 (जगदीश चन्द्र काण्डपाल)  
 अथवा जिवाधिकारी,  
 अधिष्ठाता नगरपालिका (वि./रा.)  
 उपर्युक्त सिविल नगर !

सचिव विल्ल उत्तराखण्ड शासन देहरादून विल्ल अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/मोटिओनि0/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड सम्मति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 626/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2016-17 दिनांक 19.08.2016 द्वारा पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 19.08.2016 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्पत्ति) की दरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क भुगतान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

आदेश

(डा0 नीरज खैरवाल)  
जिलाधिकारी / कलेक्टर,  
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी / कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर।

पत्र संख्या-529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त उप जिलाधिकारी / तहसीलदार / उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी / नगर निगम / नगर पालिका परिषद / छावनी क्षेत्र / नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक / सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रति।

(जगदीश धर्मेन्द्र काण्डपाल)  
अपर जिलाधिकारी (नजूल)  
ऊधमसिंहनगर।



# अर्द्धनगरीय क्षेत्र / विशिष्ट ग्राम हेतु निर्धारित श्रेणीवार विभाजन

2-	श्रेणी (क)-	श्रेणी (ख)-	श्रेणी (ग)-	श्रेणी (घ)-	
अर्द्धनगरीय / विशिष्ट ग्राम-	पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग- (1)-आदित्य चौक से लालपुर मजार तक- (2)-आदित्य चौक से अम्बेडकर चौराहा होते हुये पुलभट्टा चौराहे तक- हल्द्वानी बरेली राजकीय राजमार्ग- (1)-बण्डिया चौराहे से नगला चौराहा तक- (2)-हल्द्वानी बाईपास चौराहे से आदित्य चौक तक। किच्छा दरऊ मोटर मार्ग- (अम्बेडकर चौराहे से तहसील की सीमा तक)-	पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग- (1)-आदित्य चौक से लालपुर मजार तक- (2)-आदित्य चौक से अम्बेडकर चौराहा होते हुये पुलभट्टा चौराहे तक- (3)-पुलभट्टा चौराहे से तहसील की सीमा तक- हल्द्वानी बरेली राजकीय राजमार्ग- (1)-बण्डिया चौराहे से नगला चौराहा तक- (2)-हल्द्वानी बाईपास चौराहे से आदित्य चौक तक। किच्छा बरेली राजकीय राजमार्ग- (1) पुलभट्टा चौराहे से तहसील की सीमा तक- लालपुर से आनन्दपुरमोड मोटर मार्ग-	पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग- हल्द्वानी बरेली राजकीय राजमार्ग- (1)-बण्डिया चौराहे से नगला चौराहा तक- (2)-हल्द्वानी बाईपास चौराहे से आदित्य चौक तक। किच्छा दरऊ मोटर मार्ग-(1) अम्बेडकर चौराहे से तहसील की सीमा तक- लालपुर से आनन्दपुरमोड मोटर मार्ग-	पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग- हल्द्वानी बरेली राजकीय राजमार्ग- (1)-पुलभट्टा चौराहे से तहसील की सीमा तक- हल्द्वानी बरेली राजकीय राजमार्ग- (1)-बण्डिया चौराहे से नगला चौराहा तक- लालपुर से आनन्दपुरमोड मोटर मार्ग-	
					1-किशनपुर, 2-चुकटी, 3-देवरिया
					4-सिरौलीकला
					5-बण्डिया, 6-नगला, 7-जवाहरनगर
					8-दरऊ
					9-सोनेया
					10-सिरौलीखुर्द, 11-दोपहरिया, 12-अंजनिया
					13-भंगा, 14-पिपलिया, 15-बरा, 16-बरी, 17-शहदौरा
					18-खुरपिया, 19-आनन्दपुर
					20-सातुईया
					21-महाराजपुर, 22-कनकपुर, 23-इन्दरपुर, 24-प्रतापपुर(नारायणपुर)
					25-चावर
26-बहरामोज, 27-गुर्कागौरी, 28-नूरपुर, 29-गड़रियाबाग,					
30-खमिया नं0-1					
31-छिनकी, 32-सैजना, 33-वीरनगला					
34-गौरीकलां, 35-पण्डरी					
36-धाधा, 37-बहेड़ी					
38-गंगोली, 39-रजपुरा, 40-पन्तपुरा					
41-मूडगौरी, 42-श्रीपुर					

अध्यक्ष  
नगर निगम

## ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित श्रेणीवार विभाजन

3-	ग्रामीण क्षेत्र-	श्रेणी (क)-	43-खमिया नं0-2	44-खमिया नं0-3
		श्रेणी (ख)-	45-खमिया नं0-4	46-कठर्रा
			47-अजीतपुर	48-फिरोजपुर
			50-गऊघाट	49-कोटखर्रा
			51-पट्टरी,	52-बखपुर,
			वमरान,	54-कनमन,
			56-लक्ष्मीपुर,	55-नजीमाबाद,
				57-रूद्रपुर सानी

★

अपर विभागाधिकारी (वि. वि. वि.)  
उपम सिंह 2019



# कार्यालय उप-निबन्धक किच्छा, उधम सिंह नगर।

(नगरीय क्षेत्र हेतु दरें)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (रूपया प्रति हैक्टेयर)	अकृषि / आवासीय भूमि (रूपये प्रति वर्गमीटर)		बहुमजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया रूपये प्रति वर्गमीटर)	सामान्य दर (Base Rate)		नगर गांधिचिह्नक भवन की दर (रूपये प्रति वर्गमीटर)	नगर गांधिचिह्नक निर्माण की दर (रूपये प्रति वर्गमीटर)	प्रथम श्रेणी (लिनडर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
				सड़क से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक		उकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य गांधिचिह्नक प्रतिष्ठान				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	(क)	महाराणा प्रताप चौक से आदित्य चौक तक किच्छा मुख्य मोटर मार्ग- किच्छा वार्ड नं०-3, उत्तरांचल कालौनी एवं विद्युत उपखण्ड वार्ड-(गोटिया उत्तरांचल कालौनी बंगाली कालौनी, पावर हाऊस, सन्धू मैटरनिटी होम, चक्रधारी धर्मशाला, गुरुद्वारा भवन) किच्छा वार्ड नं०-5, बलवन्त कालौनी वार्ड-(उ०बटला अस्पताल, आ०बी०सी० बैंक, हरश्रीनाथ मन्दिर, दूरसंचार विभाग कालौनी, देवीमन्दिर कालौनी, बलवन्त कालौनी आदित्य चौक से अम्बेडकर चौक तक पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग- किच्छा वार्ड नं०-3, उत्तरांचल कालौनी एवं विद्युत उपखण्ड वार्ड-(गोटिया उत्तरांचल कालौनी, बंगाली कालौनी, पावर हाऊस, सन्धू मैटरनिटी होम, चक्रधारी धर्मशाला, गुरुद्वारा भवन) किच्छा वार्ड नं०-4, पुरानी सोनेरी वार्ड-(खन्ना राईस मिल, सोनेरी मरिजद, सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर, आवास विकास कार्यालय, जलकर कार्यालय) आवास विकास-सन्त कृपाल द्वारा मार्ग- किच्छा वार्ड नं०-4, पुरानी सोनेरी वार्ड-(खन्ना राईस मिल, सोनेरी मरिजद, सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर, आवास विकास कार्यालय, जलकर कार्यालय) आवास विकास-गुलानाक द्वारा मार्ग- किच्छा वार्ड नं०-4, पुरानी सोनेरी वार्ड-(खन्ना राईस मिल, सोनेरी मरिजद, सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर, आवास विकास कार्यालय, जलकर कार्यालय)	325 लाख	11000	7000	23000	27000	26000	12000	7000		

★

उधम सिंह नगर  
निबन्धक (क) (उप-निबन्धक)  
उधम सिंह नगर

# कार्यालय उप-निबन्धक किच्छा, उधम सिंह नगर।

(नगरीय क्षेत्र हेतु दरें)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (रूपया प्रति हैक्टेयर)	अकृषि / आवासीय भूमि (रूपये प्रति वर्गमीटर)		सामान्य दर (Base Rate)				
				सड़क से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया वर्गमीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रूपये प्रति वर्गमीटर)	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	(क)-	दीनदयाल चौक से अम्बेडकर चौक तक बरैली मार्ग- किच्छा वार्ड नं०-4, पुरानी सोनेरी वार्ड- (खन्ना राईस मिल, सोनेरी मरिजाद, सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर, आवास विकास कार्यालय, जलकर कार्यालय) किच्छा वार्ड नं०-5, बलवन्त कालौनी वार्ड- (डा0बठला अस्पताल, ओ०बी०सी० बैंक, हरश्रीनाथमन्दिर, दूरसंचार विभाग कालौनी, देवीमन्दिर कालौनी, बलवन्त कालौनी)	325 लाख	11000	7000	23000	27000	26000	12000	7000
1	(ख)-	महाराणा प्रताप चौक से आदित्य चौक तक किच्छा मुख्य मोटर मार्ग- किच्छा वार्ड नं०-1, तहसील वार्ड- (तहसील व थाना कम्पाउण्ड, अस्पताल कम्पाउण्ड, गैस एजेन्सी, टुक युनियन गली, आर०एफ०सी० गोदाम)- किच्छा वार्ड नं०-2, पत्त कालौन वार्ड- (पत्त कालौनी, पत्त मार्केट, स्टेट बैंक आफ पटियाला, राईस मिल क्षेत्र, एफ०सी०आई० गोदाम)- किच्छा वार्ड नं०-8, कैनाल कालौनी वार्ड- (कैनाल कालौनी, रिपयूनी कालौनी, सिनेमा हॉल, वूडी शा बाबा की मजार) किच्छा वार्ड नं०-9, बोरिंग गली वार्ड- (लोण्डा बोरिंग गली) किच्छा वार्ड नं०-11, सिद्ध गली वार्ड- (पी०डब्ल्यू०सी० गेस्ट हाउस, ओवर हैड टैंक सिद्ध मार्केट)	325 लाख	9500	7000	22000	26000	25000	12000	7000

\*

  
उधम सिंह नगर (वि./रा.)

57

# कार्यालय उप-निबंधक किच्छा, उधम सिंह नगर।

53

(नगरीय क्षेत्र हेतु दरें)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (रूपया प्रति हैक्टेयर)	सामान्य दर (Base Rate)						
				अकृषि / आवासीय भूमि (रूपये प्रति वर्गमीटर)	अकृषि / आवासीय भूमि (रूपये प्रति वर्गमीटर)	सड़क से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रूपये प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रूपये प्रति वर्गमीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	(ख)	रीनदण्ड चौक से अम्बेडकर चौक तक बरेली मार्ग- किच्छा वार्ड नं०-6, नई सुनहरी वार्ड- (सन्तकृपाल आश्रम, सनसा भवन, पुरानी सोनेरी) किच्छा वार्ड नं०-7, छोटी मस्जिद वार्ड- (किच्छन कालौनी, कादरी मस्जिद, चर्च, छोटी मस्जिद) किच्छा वार्ड नं०-8, कैनाल कालौनी वार्ड- (कैनाल कालौनी, रिफ्यूजी कालौनी, सिनेमा हॉल, चूड़ी शा बाबा की मजार) महाराणा प्रताप चौक से पुरानी बरेली रोड की सीमा तक मार्ग- किच्छा वार्ड नं०-10, कॉलेज वार्ड- (जनता इण्टर कॉलेज, देवी मन्दिर, नई बस्ती टीचर्स कालौनी) महाराणा प्रताप चौक से बरिडभा चौराहा तक (किच्छा इन्डोनी मार्ग)- किच्छा वार्ड नं०-1, तहसील वार्ड- (तहसील व थाना कम्पाउण्ड, अस्पताल कम्पाउण्ड, गैस एजन्सी, ट्रक यूनियन गली, आर०ए०क०सी० गोदाम)- महाराणा प्रताप चौक से प्रारम्भ पुरानी गल्ला मण्डी रोड- किच्छा वार्ड नं०-13 रेलवे कालौनी वार्ड- (रेलवे कालौनी, राजार क्षेत्र, कृष्णा विहार बेदी मौहल्ला) महाराणा प्रताप चौक से पुरानी बरेली रोड की सीमा तक मार्ग- किच्छा वार्ड नं०-12, गुरुद्वारा वार्ड- (दोषीखाना, सनातन धर्ममन्दिर, डाकखाना, पशुचिकित्सालय, सामुदायिक भवन, विद्यमन्दिर) रेलवे गोदाम रोड- किच्छा वार्ड नं०-13, रेलवे कालौनी वार्ड- (रेलवे कालौनी, राजार क्षेत्र कृष्णाविहार, बेदी मौहल्ला)	325 लाख	9500	7000	22000	26000	25000	12000	7000
1	(ग)		300 लाख	7000	6200	19000	22000	21000	12000	7000

उधम सिंह नगर / 3


## तहसील-किच्छा के अन्तर्गत सर्किल रेट निर्धारण किये जाने हेतु

### (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

नगरीय क्षेत्र के निकटवर्ती प्रमुख मार्ग / राजमार्ग / अर्द्धनगरीय क्षेत्र / उच्च विभव वाले क्षेत्र / विशिष्ट ग्राम हेतु दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सम्बन्धित ग्राम	सामान्य दर (Base Rate)							
				कृषि भूमि (रूपाया प्रति हैक्टर)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्गमीटर)	सड़क से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (पुरा परिशा रूपसे प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (पुरा परिशा रूपसे प्रति वर्गमीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रूपये प्रति वर्गमीटर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	(क)-	पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग- (1)-आदित्य चौक से लालपुर मजार तक- (2)-आदित्य चौक से अम्बेडकर चौराहा होते हुये पुलभट्टा चौराहे तक-	1-किशनपुर 2-बुकटी 3-दरिया 4-सिरोलीकला 5-बाडिया 6-नाला 7-जवाहरनगर 8-दरक	70 लाख	5000	4200	17000	19000	18000	12000	7000
		हल्दानी बरेली राजकीय राजमार्ग- (1)-बाडिया चौराहे से नाला चौराहा तक- (2)-हल्दानी बाईपास चौराहे से आदित्य चौक तक। किच्छा दरक मोटर मार्ग- (अम्बेडकर चौराहे से तहसील की सीमा तक)-									

★

  
 नगर निगम, तहसील, किच्छा  
 तहसील, किच्छा

# तहसील-किच्छा के अन्तर्गत सर्किल रेट निर्धारण किये जाने हेतु (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

नगरीय क्षेत्र के निकटवर्ती प्रमुख मार्ग / राजमार्ग / अर्द्धनगरीय क्षेत्र / उच्च विभव वाले क्षेत्र / विशिष्ट ग्राम हेतु दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सम्बन्धित ग्राम	सामान्य दर (Base Rate)							
				कृषि भूमि (कृषया प्रति हेक्टर)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्गमीटर)		बहुसंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया रूप में प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रूप में प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रूप में प्रति वर्गमीटर)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
सड़क से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक	दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		प्रथम श्रेणी (लिनट पोश)						
1	2	3	4	5	5000	3800	17000	19000	18000	12000	7000
2	(ख)	पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग- (1)-आदित्य चौक से लालपुर मजार तक- (2)-आदित्य चौक से अम्बेडकर चौराहा होते हुये पुलभट्टा चौराहे तक- (3)-पुलभट्टा चौराहे से तहसील की सीमा तक-  हल्द्वानी बरेली राजकीय राजमार्ग- (1)-बाण्डिया चौराहे से नगला चौराहा तक- (2)-हल्द्वानी बाईपास चौराहे से आदित्य चौक तक।  किच्छा बरेली राजकीय राजमार्ग- (1) पुलभट्टा चौराहे से तहसील की सीमा तक- लालपुर से आनन्दपुरमोड मोटर मार्ग-	9-सीनेरा 10-सिरौलीखुर्द 11-दोपहरिया 12-अंजनिया 13-भंगा 14-पिपलिया 15-बरा 16-बरी 17-शहदौरा 18-खुरपिया 19-आनन्दपुर 20-सतुईया  21-महाराजपुर 22-कनकपुर 23-इन्दरपुर 24-प्रतापपुर (नारायणपुर)	65 लाख	5000	3800	17000	19000	18000	12000	7000

  
 उपर्युक्त कारी वि. / स.  
 उषम सिंह नगर 1 5


# तहसील-किच्छा के अन्तर्गत सर्किल रेट निर्धारण किये जाने हेतु

(अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

नगरीय क्षेत्र के निकटवर्ती प्रमुख मार्ग / राजमार्ग / अर्द्धनगरीय क्षेत्र / उच्च विभव वाले क्षेत्र / विशिष्ट ग्राम हेतु दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों का नाम	सम्बन्धित ग्राम	सामान्य दर (Base Rate)									
			कृषि भूमि (रूपाया प्रति हैक्टर)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्गमीटर) सड़क से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया रूप में प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रूप में प्रति वर्गमीटर) टुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रूप में प्रति वर्गमीटर)	ग्रहण श्रेणी (लिन्टन पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	(ग)- पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग-	हल्द्वानी बरेली राजकीय राजमार्ग- (1)-बाण्डिया चौराहे से नगला चौराहा तक- (2)-हल्द्वानी बाईपास चौराहे से आदित्य चौक तक। किच्छा दरक मोटर मार्ग-(1) अम्बेडकर चौराहे से तहसील की सीमा तक- लालपुर से आनन्दपुरमोड़ मोटर मार्ग-	25-बाचर 26-बहरामोज 27-तुर्कागोरी, 28-नूरपुर 29-गखरियाबाग 30-खमिया नं०-1 31-छिनकी 32-सैजना 33-शैरुनगला 34-गौशिकलां 35-पाण्डी	45 लाख	3800	3200	15800	17000	16000	12000	7000	


★

11.11.18  
  
 उज्ज्वल सिंह नगर (वि./स.)

**तहसील-किच्छा के अन्तर्गत सर्किल रेट निर्धारण किये जाने हेतु  
(अर्द्धनगरीय क्षेत्र)  
नगरीय क्षेत्र के निकटवर्ती प्रमुख मार्ग / राजमार्ग / अर्द्धनगरीय क्षेत्र / उच्च विभव वाले क्षेत्र / विशिष्ट ग्राम हेतु दरें**

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (रुबया प्रति हैक्टेयर)		अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्गमीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रूपये प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रुपये प्रति वर्गमीटर)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोथ)
			30 लाख	3000	सड़क से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से अधिक		वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रूपये प्रति वर्गमीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	(ख)- प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	यानीमत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग (1)-पुलभट्टा चौराहे से तहसील की सीमा तक- हल्दानी बरसी राजकीय राजमार्ग- (1)-बण्डिया चौराहे से नगला चौराहा तक- लालपुर से आनन्दपुरमोड़ मोटर मार्ग-	36-शाया 37-बहेड़ी 38-गंगोली 39-रजपुरा 40-पन्तपुरा 41-भूझगाँसे 42-श्रीपुर	30 लाख	3000	2200	15000	16000	15000	12000	7000

✍

  
 राजस्व निरीक्षण विभाग  
 अर्द्धनगरीय क्षेत्र  
 किच्छा तहसील

58

# तहसील-किच्छा के अन्तर्गत सर्किल रेट निर्धारण किये जाने हेतु (ग्रामीण क्षेत्र)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / गाँव / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (रूपया प्रति हेक्टर)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्गमीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया रूप में प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रूप में)		मैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रूप में प्रति वर्गमीटर)	प्रथम श्रेणी (लिनडर पोष)	द्वितीय श्रेणी (शैन पोष)
				सड़क से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्तराँ / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान			
1	2	3	4			7	8	9	10	11	
3	(क)-	43-खमिया नं०-2 44-खमिया नं०-3 45-खमिया नं०-4 46-करवर्ष 47-अजीतपुर 48-फिरोजपुर 49-कोटखर्षा 50-गाऊघाट	39 लाख	3600	3200	15600	15000	14000	12000	7000	
3	(ख)-	51-पटेशी 52-बखपुर 53-गागापुर बमरान 54-कनमन 55-नजीभाबाद 56-लक्ष्मीपुर 57-रुद्रपुर सानी	26 लाख	2600	2200	14600	14000	13000	12000	7000	

*(Handwritten mark)*

*(Signature)*  
**उपम सिंह नगर !**  
**व्यवसायिकारी (वि./र.)**




जनपद-उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें-

नगरीय क्षेत्र	3500 रु0 प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु0 प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु0 प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु0 प्रति वर्गमीटर

नोट-1. औद्योगिक दरें में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत बहुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु0 प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

★

  
 उधमसिंहनगर (वि.सं. 102)  
 जनपद उधमसिंहनगर

## गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका कार्गुला निम्नलिखित है :-


नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में घास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :-  $D=P(1-RD/100)^N$

$RD = \frac{\text{भवन की औसत आयु}}{100}$

100

D = घास मूल्य (Depreciated Value)		P = वर्तमान मूल्य		N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)	
1 वर्ष	0.990	26 वर्ष	0.770	51 वर्ष	0.598
2	0.980	27	0.762	52	0.592
3	0.970	28	0.754	53	0.587
4	0.960	29	0.747	54	0.581
5	0.950	30	0.739	55	0.575
6	0.941	31	0.731	56	0.569
7	0.932	32	0.724	57	0.563
8	0.927	33	0.717	58	0.558
9	0.913	34	0.710	59	0.552
10	0.904	35	0.703	60	0.547
11	0.890	36	0.696	61	0.541
12	0.880	37	0.689	62	0.536
13	0.870	38	0.682	63	0.530
14	0.868	39	0.675	64	0.525
15	0.860	40	0.668	65	0.518
16	0.851	41	0.662	66	0.515
17	0.842	42	0.655	67	0.509
18	0.834	43	0.649	68	0.504
19	0.826	44	0.642	69	0.499
20	0.817	45	0.636	70	0.494
21	0.809	46	0.629	71	0.489
22	0.801	47	0.623	72	0.484
23	0.793	48	0.617	73	0.480
24	0.785	49	0.611	74	0.475
25	0.777	50	0.605	75	0.470

  
 सचिव (वि. व. श.)  
 सचिव सिंह नगर

## सामान्य निर्देशिका:-

104

प्रमुख सचिव विल्ट उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-

1. यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-
  - (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
5. एकल व्यावसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्ण विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।
7. उत्तर प्रदेश विल्ट निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियाँ हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप


1

सचिव, विल्ट निगम

- में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।
8. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य भागों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के खसरा नम्बरान की सूची जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित दूरी के मानक के अनुसार सर्किल दर सूची में संलग्न की जायेगी तथा उक्त में अंकित खसरा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेखपत्रों के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अन्यथा दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेखपत्र की प्रति स्ताम्ब एक्ट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत परीक्षण की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी।
9. कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।
10. किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
11. बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित पलैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
12. विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में स्वीकृत प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो, उसका विलेख में उल्लेख में किया जाना अनिवार्य होगा, एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाईसेन्स प्राप्त झपटभैन द्वारा अच्ची गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा उसकी स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाईसेन्स झपटभैन द्वारा अच्ची गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में लिन्टर पोश, टीनपोश अथवा पलैटस होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
13. पलैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप ऑफ पलैट एक्ट-1975 (यथा संशोधित यथा उल्लेखण्ड में लागू) के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
14. भूमि/सम्पत्ति के अन्तर्गत पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मौहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
15. वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।
16. भवनों की आयु निर्धारित के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य ह्रास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। पलैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।
17. भूमि/सम्पत्ति बाडण्डी वॉल के स्थित होने पर रूपया 1000/- रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
18. भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन रूपये-25000.00 प्रति बोरिंग की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
19. टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
20. किसी भी औद्योगिक इकाई में में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति यथा लिन्टर पोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।
21. किसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तर्गत होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एगूड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

4

22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम दर प्रभावी होगी।
23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
25. किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
  - (i) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iii) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेंट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iv) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तर्गत कृषि/अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (v) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क-सड़कों/मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (vi) पक्षकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का भाग माना जायेगा।

  
 (जगदीश चन्द्र काण्डपाल)  
 अथवा जिवाधिकारी,  
 अधिशासक नगरपालिका (वि./रा.)  
 उपमहानगर सिंह नगर !

# नगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / सीड0 / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / सीड0 / राजस्व ग्रामों के नाम	कृषि भूमि हेक्टेयर (प्रति एक लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / शैटोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टरपोश)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	(क) काशीपुर-रुद्रपुर मार्ग NH-74 (नगर पालिका के अन्तर्गत)	(बरखेड़ा के अन्तर्गत) 1-गुरुदारा सिंह सभा-वार्ड-1 2-गोधीनगर-वार्ड-2 3-राजकीय इण्टर कालेज-वार्ड-3 4-शिव मन्दिर वार्ड-वार्ड-4 5-पशुचिकित्सालय वार्ड-9 6-आजाद नगर वार्ड-8 7-पंजाबी कालौनी वार्ड-07	484	11400	10000	23400	26900	26300	12000	7000
	गूलरभोज मार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	(बरखेड़ा के अन्तर्गत) 1-आवास-विकास वार्ड-5 2-इस्लामनगर वार्ड-06	484	11400	10000	23400	26900	26300	12000	7000

अपर निरीक्षक (वि. / रा.)  
उपम सिंह नगर

# नगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / भीड़ / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / भीड़ / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेक्टेयर (प्रति 80 लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)											
					सड़क से 100 मी0 तक	सड़क से 100 मी0 से अधिक		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	डुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटरपोर 1)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12										
1	एन0एच0-74 (नगर पालिका के अन्तर्गत)	रामजीवनपुर		80	9900	8700	21900	25300	24700	12000	7000										
												ख	शंशिया	85	10400	9200	22400	25800	25200	12000	7000
												ग	लखनऊ	80	8000	7300	20000	23200	22600	12000	7000
कुलवन्तनगर लिंक रोड (नगर पालिका के अन्तर्गत)																					

★

अपर निरीक्षक (नि. उद्योग सिविल नगर)

नगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोड़ / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेतु दर (प्रति एक लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)		
				सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		वाणिज्यिक भवन में स्थित आवासीय परिसर प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्ट्रपेश)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	क गूलरभोज रोड	नगरपंचायत दिनेशपुर ग्राम वन्दायन	73	8600	8000	20600	23900	23300	12000	7000	
	गदरपुर-मटकोटा रोड	1- चन्दनगढ़ वार्ड न०-3 2- दुर्गा मन्दिर वार्ड न०-4	73	8600	8000	20600	23900	23300	12000	7000	
	जाफरपुर रोड	1- अस्तगत वार्ड न०-5 2- शारत्रीनगर वार्ड न०-6 3- नेताजीनगर वार्ड न०-7 4- रविन्दनगर वार्ड (प्रस्तावित)	73	8600	8000	20600	23900	23300	12000	7000	
1	ख गूलरभोज-कूल्हा रोड	नगरपंचायत गूलरभोज के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र	27	5500	5400	17500	20500	19900	12000	7000	
	गूलरभोज-हरिपुरा रोड	1-कोपा- वार्ड न०-1 नई बस्ती कोपा 2-कोपा- वार्ड न०-4 नई बस्ती 3-कोपा- वार्ड न०-6 ग्राम सभा कोपा का आंशिक भाग, कैनाल कालोनी नम्बर-2 1- कोपा- वार्ड न०-6 गडार बस्ती 2-कोपा- वार्ड न०-7 गोलार्ड, कैनाल कालोनी नम्बर-2	27	5500	5400	17500	20500	19900	12000	7000	
	गूलरभोज-गदरपुर रोड	1-गोविन्दपुर- वार्ड न०-2 गोविन्दपुर 2-गोविन्दपुर- वार्ड न०-3 वन्दायन सन्तोषनगर, टण्टपुरी	27	5500	5400	17500	20500	19900	12000	7000	

Handwritten signature and official stamp at the bottom left of the page.





अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर


क म सं रु या	प्रमुख मार्ग / मोड़ 0/र राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोड़ 0/र राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	सामान्य दर (Base Rate)							
				कृषि भूमि (प्रति हेक्टर पर ₹0 लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वृकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	(ड)	काशीपुर रुद्रपुर मार्ग NH-74	मसीत	81	8600	8100	20600	23000	22400	12000	7000
	(च)		परखरकुई	72	8700	8100	20700	23100	22500	12000	7000
	(ख)		1-फतेहगंज 2-मजराहसन	72	7400	6900	19400	21700	21100	12000	7000
	(ज)		रामजीवनपुर	67	9700	8700	21700	24200	23600	12000	7000

अध्यापक/अधिकारी (नि. / र.)  
उद्यम सिंह नगर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर


क्र. संख्या	प्रमुख मार्ग/मोहो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहो/राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर ₹० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन पेश
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		व्यवसायिक भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2	(क)	गदरपुर गुलरभाज मार्ग	1-धनपुर-विजयपुर	79	8500	8200	20500	22900	22300	12000	7000
	(ख)	गदरपुर गुलरभाज मार्ग	गोपालनगर	73	6600	6400	18600	20800	20200	12000	7000
3	(क)	गदरपुर से दिनेशपुर से गुलरभाज रोड	1-बंशीसाई 2-चन्दननगर 3-मदानपुर 4-कूल्का	79	8300	8000	20300	22600	22000	12000	7000
	(ख)	गदरपुर से दिनेशपुर से गुलरभाज रोड	खटाला	67	7700	7500	19700	22000	21400	12000	7000

★

  
 उपर विभागाध्यक्ष (आ. वि.)  
 तहसील वि. वि. गदरपुर

# अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग/मार्ग/राजस्व जम्मा की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मार्ग/राजस्व जम्मा के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टर पर रू० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)		
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय यूनिट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटरपेश)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	(ग)	गदरपुर से दिनेशपुर से गुलरभोज रोड	1-घरनपुर 2-जगनपुरी	20	4800	4700	16800	18800	18200	12000	7000

  
**अनुरज सिंघाणिकारी (वि./रा.)**  
**उपम सिंड नगर !**


अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

क्र. संख्या	प्रमुख मार्ग / नौहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / नौहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टर पर ₹0 लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)		ग्रहण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी0 तक	सड़क से 100 मी0 से अधिक		कुलान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
4	(क)	दिनेशपुर से जाफरपुर	हुकसौरा	82	8600	8300	20600	23000	22400	12000	7000
	(ख)	दिनेशपुर से जाफरपुर	आडखेडा	73	6600	6400	18600	20700	20100	12000	7000
	(ग)	दिनेशपुर से जाफरपुर	बन्दावन	67	7800	7600	19700	22000	21400	12000	7000
5	(क)	सरदार नगर से बैरिया दौलत मार्ग	गिरधरनगर	73	6600	6400	18600	20700	20100	12000	7000

अध्यक्ष  
 उद्योग विकास विभाग  
 सरदार नगर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

संख्या	प्रमुख मार्ग / मोड़ 0 / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोड़ 0 / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रू० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		शेयर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन पेश
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
5	(ख)	सरदार नगर से बेरिया दौलत मार्ग	1-नन्दपुर 2-खानपुर पश्चिम 3-खेमपुर	67	7700	7600	19700	22000	21400	12000	7000
	(ग)	सरदार नगर से बेरिया दौलत मार्ग	रोशनपुर	21	5000	4900	17000	19000	18400	12000	7000
	(घ)	सरदार नगर से बेरिया दौलत मार्ग	राजपुर	20	4600	4500	16600	18600	18000	12000	7000

  
 सर (तहसील कार्यालय) गदरपुर  
 उषम सिंह ठाकुर

(12)

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग/मौह 0/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौह0/राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेतु दर (प्रति एक लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टैन पोश
					बहुमंजरीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)				अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिट्टरपोश)		
01				05					08			11	12
6	(क)	गदरपुर से सर्कैनिया	सर्कैनिया	79	8800	8100			20800	23200	22600	12000	7000
	(ख)	गदरपुर से सर्कैनिया	गदरपुर	73	6600	6400			18600	20800	20200	12000	7000
	(ग)	गदरपुर से सर्कैनिया	रजपुरा-कुतुबपुर	67	7800	7500			19800	22000	21400	12000	7000

अपर ~~...~~ कारी (वि./स.)  
उद्यम सिंह नगर


✓

*(Handwritten Signature)*

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / सीडो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / सीडो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि हेक्टेयर (प्रति एक लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹0 प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		नैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टिन पेशा
					सड़क से 100 मी0 तक	सड़क से 100 मी0 से अधिक		उत्कान / स्टैरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
8	(क)	अन्य विशिष्ट ग्राम	1. धीमरखेडा	73	6600	6400	18600	20800	20200	12000	7000
	(ख)	अन्य विशिष्ट ग्राम	1. लखनऊ	73	7800	7200	19800	22000	21400	12000	7000
	(ग)	अन्य विशिष्ट ग्राम	1. गदरपुरी 2. कनकटा	73	6600	6400	18600	20800	20200	12000	7000
	(घ)	अन्य विशिष्ट ग्राम	1. गुमवईया 2. रिक्का 3. मुकन्दपुर	67	7700	7500	19700	22000	21400	12000	7000

★

  
 राजेश कुमार (P. No.)  
 ग्राम निर. कार्यालय



अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

(15)

क्र.सं. संख्या	प्रमुख मार्ग / नौह 0 / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / नौह0 / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रु० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		वाणिज्यिक भवन आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	डुकान/ शैल्डरेट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टरपोश)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
7	(क)	महतोष से नवाबगंज रोड	अलखदेवी	79	8300	8000	20300	22600	22000	12000	7000
	(ख)	महतोष से नवाबगंज रोड	अलखदेवा	61	6600	6400	18600	20800	20200	12000	7000
	(ग)	महतोष से नवाबगंज रोड	रतनपुरा	21	5000	4800	17000	19000	18400	12000	7000
	(घ)	महतोष से नवाबगंज रोड	रतनपुरी	20	4600	4400	16600	18600	18000	12000	7000

अपर निर्यातिकासी (वि / एन)  
उपम सिंह नगर 1

★

ग्रामीण क्षेत्र तहसील गदरपुर

(5)


क्र. संख्या	प्रमुख मार्ग/मौहो/र जावरस मार्गों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहो/राजावरस मार्गों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टर पर ₹0 लाख में)	अकृषि/आवासीय भूमि की दर		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क से 100 मी0 तक	सड़क से 100 मी0 से अधिक		वकूत/आवासीय भवन से स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान/स्टोरेज/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्दरपेश)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
9	(क)	1-रूपपुर 2-बकनिया 3-सरोवरनगर 4-कुआखड़ा	21	5000	4800	17000	17500	16900	12000	7000
		(ख)	21	5800	5300	17800	18400	17800	12000	7000
		(ग)	20	4800	4600	16800	17300	16700	12000	7000
	(घ)	1-खुशालपुर 2-कोण 3-गविन्दपुर 4-धीमरी ब्लाक 5-कलकत्ता 6-कुईखेड़ी 7-रूपीनगर	20	4600	4400	16600	17000	16400	12000	7000

4

उपस्थित अधिकारी (वि. / टी)  
उद्यम सिंह नगर

सचिव विल्ल उत्तराखण्ड शासन देहरादून विल्ल अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/मोनि0नि0/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 626/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2016-17 दिनांक 19.08.2016 द्वारा पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 19.08.2016 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्पत्ति) की दरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क भुगतान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

आदेश

  
(डा0 नीरज खैरवाल)  
जिलाधिकारी/कलेक्टर,  
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर।

पत्र संख्या-529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/छावनी क्षेत्र/नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक/सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रति।

(जगदीश चन्द काण्डपाल)  
अपर जिलाधिकारी (नजूल)  
ऊधमसिंहनगर।

निबन्धन उप-जिला रुद्रपुर, जनपद-ऊधम सिंह नगर।

नगरीय क्षेत्र हेतु निर्धारित श्रेणीवार विभाजन

नगरीय क्षेत्र -	श्रेणी (क)	विवरण	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-6	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-8
	1	रामपुर-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग (सोनिया होटल के पुल से अटरिया मोड़ (हार्डविल ऑफिस) तक)	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-6	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-8
	2	रुद्रपुर काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग - (इन्द्रा चौक से गावा धर्मकांटा तक)	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-9	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-10
	3	काशीपुर रुद्रपुर बाईपास मार्ग - (दीन दयाल चौक से गावा धर्मकांटा तक)	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-11	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-13
	4	रुद्रपुर किच्छा राष्ट्रीय राजमार्ग - (इन्द्रा चौक से तीन पानी तिराहा तक)	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-14	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-17
	5	किच्छा बाईपास मार्ग - (पं० दीन दयाल चौक से कल्याणी नदी के पुल तक) किच्छा बाईपास मार्ग - (संत बाबा ईसर सिंह बेदी गेट से लेकर तीन पानी तिराहा तक)	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-18	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-19
	6	किच्छा बाईपास मार्ग - (कल्याणी नदी के पुल से गंगापुर मोड़ संत बाबा ईसर सिंह बेदी गेट तक )	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-9 (आंशिक)	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-10 (आंशिक)
	7	अन्य लिंक मार्ग- (शिवनगर से ट्रांजिट कैम्प मध्य कन्या जुनियर हाई स्कूल तक) अटरिया मन्दिर से होली चौक क्षेत्र मार्ग तक- (आवास विकास का क्षेत्र) (गुलनानक इण्टर कालेज से इन्द्रा कालोनी तक) (इन्द्रा कालोनी से आदर्श इन्द्रा बंगाली कालोनी रोड़ तक) ट्रांजिट कैम्प के मध्य राधा कृष्ण मन्दिर से होते हुए अनुकूल ठाकुर मन्दिर से मुखर्जीनगर तक - (ट्रांजिट कैम्प का क्षेत्र) भूतबंगला के सामने से रमपुरा निचाल मार्ग	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-2	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-3 (आंशिक)
	7	श्रेणी (ख)	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-19 (आंशिक)	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-20
			नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-15	
			नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-16	
			नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-1	
			नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-7 (रमपुरा का दक्षिणी-पूर्वी भाग)	

(1)

नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-7 (रमपुरा का दक्षिणी-पूर्वी भाग)

नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-7 (रमपुरा का दक्षिणी-पूर्वी भाग)

## अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु निर्धारित श्रेणीवार विभाजन


(2)

अर्द्धनगरीय क्षेत्र -	श्रेणी (क)	विवरण	श्रेणी (क)
अर्द्धनगरीय क्षेत्र -	8	काशीपुर-रूद्रपुर-किछा राष्ट्रीय राजमार्ग N.H.-74 (खानपुर पूर्व से लालपुर मजार तक)	1 - खानपुर पूर्व 5 - रम्पुरा 9 - शिमला विस्तार
	9	श्रेणी (क)  रामपुर-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग (डिग्री कालेज से फूलबाग की सीमा तक)	2 - जाफरपुर 6 - रूद्रपुर 10 - कोठा
			3 - कोलडिग्रा 7 - बिगवाडा 11 - लालपुर
	10	श्रेणी (क)  दिनेशपुर मार्ग (छत्तरपुर रेलवे क्रॉसिंग अशोका लिलेण्ड से श्रीरामपुर की सीमा तक )	12 - फाजलपुर महरौला 15 - मटकोटा
			13 - जगतपुर 14 - कल्याणपुर 16 - भूझरानी 17 - फूलबाग
	11	श्रेणी (क)  अन्य मार्ग (गंगापुर नगला रोड फुलसुंगी से लोहरा की सीमा तक)	18 - छत्तरपुर 19 - जयनगर
			20 - विजयनगर 21 - फुलसुंगी 22 - लोहरा
	12	श्रेणी (क)  अन्य मार्ग (ट्रांजिट कैम्प से फुलसुंगा मार्ग) दानपुर से मनिहार खेड़ा रोड)	23 - लोहरा 24 - लमरा
			25 - शिमला बहादुर 26 - फुलसुंगा 27 - कोलडा
	13	श्रेणी (क)  (लालपुर से नगला मार्ग) (दानपुर से रायपुर अमरपुर मार्ग) लिकं मार्ग (जाफरपुर से लम्बाखेडा सैयदअली गंज) (जयनगर से दिनेशपुर मार्ग)	28 - रामेश्वरपुर 29 - बिन्दुखेडा
			30 - रायपुर 31 - अमरपुर
			32 - लम्बाखेडा 33 - सैयद अलीगंज
			34 - श्रीरामपुर

### ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित श्रेणीवार विभाजन

ग्रामीण क्षेत्र -	श्रेणी (क)	विवरण
ग्रामीण क्षेत्र -	14	35- बगवाला 36- गंगापुर पटिया 37- खमारिया 38- मलसा गिरधरपुर 39- कुरैया 40- सैजनी 41- रहपुरा 42- मलसी 43- बड़ौरा

(2)

  
**अपर विलार्थिकारी (वि./रा.)**  
 उद्यम सिंह नगर

**तहसील रुद्रपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग / मुख्य मार्ग / नगरीय मोहल्ले / वार्ड की दरें (नगरीय क्षेत्र)**

क्र. सं.	ग्राम / मोहल्ला / राजमार्ग मार्ग की श्रेणी	ग्राम मार्ग / मोहल्ला राजमार्ग का नाम	शुद्ध भूमि (को. मी. प्रति हेक्टर)	अच्छी भूमि पर प्रति वर्गमीटर (को. मी. प्रति वर्ग)		शुद्धतरीख आवासीय भवन में स्थित आवासीय खंड (ग्राम परिसर) दर को प्रति वर्गमीटर	गाण्डिक भवन की दर (ग्राम परिसर प्रति वर्गमीटर)		नगर गाण्डिक निर्माण की दर (को. मी. प्रति वर्ग मीटर)		
				वर्ग 0 से 100 मीटर दूरी तक	वर्ग 100 मीटर से अधिक दूरी		सूचना / रिकॉर्ड / कागजात	अन्य गाण्डिक प्रतिभाग	ग्राम श्रेणी (किन्तव्य)	द्वितीय श्रेणी (टीनबोर)	
1	श्रेणी 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्रेणी 2	ग्राम रुद्रपुर के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग - (मोनिटरिंग वार्ड के पुल से अदरिया मोड़ (साईकिल शीफ्टिंग) तक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-6 नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-8 नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-9 नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-10 नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-11 नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-13 नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-14 नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-17 नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-18 नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-19	675	21000	17500	33000	58300	51000	12,000	7,000	
2	श्रेणी 2	रुद्रपुर काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग - (द्विभा चौक से गागा धर्मकाटा तक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-9 (आंशिक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-10 (आंशिक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-14 (आंशिक)	675	21000	17500	33000	58300	51000	12,000	7,000	
3	श्रेणी 2	काशीपुर रुद्रपुर वाईपएस मार्ग - (द्विभा चौक से गागा धर्मकाटा तक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-12 नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-11 (आंशिक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-13 (आंशिक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-14 (आंशिक)	675	21000	17500	33000	58300	51000	12,000	7,000	
4	श्रेणी 2	रुद्रपुर (किसका) राष्ट्रीय राजमार्ग - (द्विभा चौक से तीन पानी विखरा तक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-4 नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-5 नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-6 (आंशिक)	475	16000	15000	28000	52000	43000	12,000	7,000	


(3)

जिलाधिकारी (वि.स.)  
 रुद्रपुर सिटी नगर

**तहसील रुद्रपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग / मुख्य मार्ग / नगरीय मौहल्ले / वार्ड की दरें (नगरीय क्षेत्र)**

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मौहल्लों राजस्व ग्रामों/वार्ड/च/उत्सव ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्लों का नाम	कृषि भूमि (रु० प्रति हैक्टर)	अकृषि भूमि दर प्रति वर्गमीटर (रु० हजार में)		बहुमंजरीय आवासीय ग्रामों में स्थित आवासीय प्लॉट (पुर पश्चिम रु० प्रति वर्ग मीटर)	गाण्डिजिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)			नगर गाण्डिजिक निर्माण की दर (रु० प्रतिवर्ग मीटर)	
				सड़क 0 से 100 मीटर दूरी तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक दूरी		दुकान /रैस्तेनेट /कार्यालय	अन्य गाण्डिजिक प्रतिष्ठान	ग्राम श्रेणी (लिन्डरपेश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपेश)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
5	श्रेणी क	किछा बाईपास मार्ग - (50 दिन दयाल चौक से कल्याणी नदी के पुल तक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-18	475	14000	11000	26000	56000	48500	12,000	7,000	
6	श्रेणी ख	किछा बाईपास मार्ग - (संत बाबा ईसर सिंह बेदी गेट से लेकर सैन ग्रामी निरवाडा तक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-4	475	14000	11000	26000	56000	48500	12,000	7,000	
7	श्रेणी क	किछा बाईपास मार्ग - (कल्याणी नदी के पुल से गंगापुर मोड़ संत बाबा ईसर सिंह बेदी गेट तक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-2 आशिक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-3 (आशिक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-5 (आशिक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-8 (आशिक)	475	14500	11500	26500	56000	48500	12,000	7,000	
		अन्य विक्रय मार्ग (शिवनगर से ट्रॉजिट केम्य कन्वर्ज जूनिवर्सिटी बाई स्कूल तक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-2 नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-3 (आशिक) अदरिया मस्जिद से होली चौक क्षेत्र मार्ग तक-(आवास विकास का क्षेत्र) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-19 (आशिक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-20	400	17000	15000	29000	60000	53000	12,000	7,000	
		(पुलजानक इण्टर कालेज से इन्दा कालानी तक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-15 (इन्दा कालानी से आदरवा इन्दा बंगाली कालानी रोड तक) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-16	400	15,000	12,000	27000	55000	48000	12,000	7,000	


(4)

  
 उपम सचिव नगर

**तहसील रुद्रपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग / मुख्य मार्ग / नगरीय मौहल्ले / वार्ड की दरें (नगरीय क्षेत्र)**

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मौहल्ले राजस्व ग्रामों व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहल्ले राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (रु० प्रति हैक्टर)	अकृषि दर प्रति वर्गमीटर (रु० हजार में)		बहुसंजालीय आवासीय भवन से विधाल आवासीय परसेट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रतिवर्ग मीटर)	
				साइक 0 से 100 मीटर दूरी तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक दूरी		दुकान / रेस्टोरान्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (निम्नतरथा)	द्वितीय श्रेणी (दीनपथा)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
7	श्रेणी ख	ट्रांजिट कैम्प के मध्य राधा कृष्ण मन्दिर से होते हुए अगुल्ल ठाकुर मन्दिर से मुख्यनिगर तक - (ट्रांजिट कैम्प का क्षेत्र) नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-1 शुद्धगला के सामने से रम्पुरा निवाला मार्ग नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-7 (रम्पुरा का दक्षिण-पूर्व भाग)	350	13000	11,000	25000	49000	42000	12,000	7,000
			350	11,000	10,000	23000	43000	38000	12,000	7,000



  
 अथर निवाला (वि. / ए.)  
 उषम सिंह नगर



उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास अनुभाग 3 संख्या 2291(2) (2)/2017.01(53) / 2010 दिनांक 20 नवम्बर 2017 की अधिसूचना के द्वारा नगर निगम रुद्रपुर, में, सम्मिलित तहसील रुद्रपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग / मुख्य मार्ग के विशिष्ट ग्राम / ग्रामों की दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मो 0/राजर् व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (रु० प्रति हेक्टर)	अकृषि दर प्रति वर्गमीटर (रु० हजार में)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		शेर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रतिवर्ग मीटर)	
				यस्यक 0 से 100 मीटर तक	यस्यक से 100 मीटर से अधिक दूरी तक		दुकान /रेस्टोनेन्ट /कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्दराधार)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
8	क श्रेणी	काशीपुर-रुद्रपुर-किच्छा राष्ट्रीय राजमार्ग N.H.-74 (खानपुर पूर्व से बालपुर मजार तक) 1- रामपुरा 2- रुद्रपुर 3- बिगावाड़ा	125	8000	7500	20000	36000	30000	12,000	7,000
	श्रेणी	रामपुर-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग (डिप्टी कालेज से फूलबाग की सीमा तक) 1- फाजलपुर महरीला 2- जगतपुर 3- कल्याणपुर 4- भूछारानी	125	8000	7500	20000	36000	30000	12,000	7,000
1	क श्रेणी	अन्य मार्ग (गंगपुर नगला रोड फूलसुभी से लोहरा की सीमा तक) 1- फूलसुभी	100	6500	6000	18500	32000	25000	12,000	7,000
2	क श्रेणी	अन्य मार्ग (द्विजिट केन से फूलसुगा मार्ग) 1- लमरा 2- शिमला बलादुर 3- फूलसुगा	120	7000	5500	18500	34000	29500	12000	7000

★

(6)

अध्यक्ष विकास विभाग (शहरी विकास)  
उत्तराखण्ड नगर निगम रुद्रपुर

**तहसील रुद्रपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग / मुख्य मार्ग के विशिष्ट ग्राम / ग्रामों की दूरे (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)**


क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/सं० व/राजमार्ग की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि शुल्क (रु० प्रति हेक्टर)	अकृषि दर प्रति वर्गमीटर (रु० हजार में)		बहुमंजरीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्दिष्ट क्षेत्र में)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रतिवर्ग मीटर)	
				सड़क 0 से 100 मीटर दूरी तक	रु० से 100 मीटर से अधिक दूरी		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटरप्रेश)	द्वितीय श्रेणी (टीनप्रेश)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
8	श्रेणी क	काशीपुर-रुद्रपुर-किच्छा राष्ट्रीय राजमार्ग <b>N.H.-74</b> (खानपुर पूर्व से लालपुर मजार तक) 1- खानपुर पूर्व 2- जाफरपुर 3-कोलडिया 4-दानपुर 5- ममरौला 6- शिमला पिरतौर 7- कोठा 8- लालपुर  रामपुर-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग (डिग्री कालेज से फूलबाग की सीमा तक) 9- मटकोटा 10- फूलबाग	110	8000	7000	20000	36000	30000	12,000	7,000

**मुख्य विभागाध्यक्ष कारी (वि./रा.)**  
 तहसील सिंहर नगर !

तहसील रुद्रपुर के मुख्य/अन्य मार्ग के विशिष्ट ग्राम/ग्रामों की दरें (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/सं० /राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (रू० प्रति हेक्टेयर) (रूपये लाख में)	अकृषि दर प्रति वर्गमीटर (रू० हजार में)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया रू० प्रति वर्ग मीटर	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		शेर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर	द्वितीय श्रेणी (टीनपाश)
				सड़क 0 से 100 मीटर दूरी तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक दूरी		दुकान /रेस्टोरनेन्ट /कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
10	श्रेणी क	दिनेशपुर मार्ग (छत्तरपुर रेलवे क्रॉसिंग अशोकालिलोड से श्रीरामपुर की सीमा तक ) 11- छत्तरपुर 12-जयनगर 13- विजयनगर	95	9000	8000	21000	37000	30000	12,000	7,000
11	श्रेणी क	अन्य मार्ग (गंगपुर नमाला रोड छुलसुंगी से लोहरा की सीमा तक) 14- लोहरा 15- लोहरा	75	6,000	5,500	18000	32000	25000	12,000	7,000
12	श्रेणी क	(दानपुर से भनिहार खेड़ा रोड) 16- कोलडा	70	5,000	4,600	17000	30000	22500	12,000	7,000

✍

  
 अथर प्रशासक (वि./सं.)  
 अथर सिंह नगर

(8)

**तहसील रुद्रपुर के मुख्य/अन्य मार्ग के विशिष्ट ग्राम/ग्रामों की दरें (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)**

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/राजस्व ग्रामों/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (रु० प्रति हेक्टर)	अकृषि दर प्रति वर्गमीटर (रु० हजार में)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परलैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (क्रियता प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		शेर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क 0 से 100 मीटर दूरी तक	शक से 100 मीटर से अधिक दूरी		दुकान /रेस्टोरनेट /कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्दरपाश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपाश)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
13	श्रेणी क	(बालपुर से नगला मार्ग) 17- रामवरपुर (दानपुर से रायपुर अमरपुर मार्ग) 18- बिनखेड़ा 19- रायपुर 20- अमरपुर विक्रम मार्ग (जाफरपुर से लम्बाखेड़ा सेवदअली गंज) 21- लम्बाखेड़ा 22-सेवद अलीगंज (जवनार से दिनेशपुर मार्ग) 23- श्रीरामपुर 24- बागवाला	80  55  40	5,000  4800  6,500	4,500  4,000  5,500	17000  17000  18500	30000  30000  30000	25000  25000  25000	12,000  12,000  12,000	7,000  7,000  7,000

*(Handwritten mark)*

(9)

*(Signature)*  
 अधीक्षक  
 तहसील रुद्रपुर  
 रुद्रपुर, उत्तरांचल प्रदेश

तहसील रुद्रपुर के ग्रामीण क्षेत्र की दरें (ग्रामीण क्षेत्र)

क्र० स०	प्रमुख मार्ग / स० राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (रू० प्रति हेक्टेयर) (कृषये लाख में)	अकृषि दर प्रति वर्गमीटर (रू० हजार में)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रू० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		शेर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
				सड़क 0 से 50 मीटर दूरी तक	सड़क 51 से 200 मीटर दूरी तक		अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटपोश)		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
14	श्रेणी क	1- गंगपुर पटिया 2- खमरिया 3- मलसा गिरधरपुर 4- कुरैया 5- सैजनी 6- रघुरा 7- मलसी 8- बड़ौरा	40	4,000	3,500	16000	25000	20000	12,000	7,000

✍




जनपद-उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें-

नगरीय क्षेत्र	3500 रु0 प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु0 प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु0 प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु0 प्रति वर्गमीटर

नोट-1. औद्योगिक दरें में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत महुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु0 प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

★  
  
उप निबन्धक (सि. 102)  
उप निबन्धक

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका कार्गुला निम्नलिखित है :-


नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में इस लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :-  $D=P(1-RD/100)^N$  RD = भवन की औसत आयु

**D = इस मूल्य (Depreciated Value) P = वर्तमान मूल्य N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)**

1 वर्ष	0.990	26 वर्ष	0.770	51 वर्ष	0.598	76 वर्ष	0.465
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392
19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366

★

  
 सचिव सिविल नगर (वि. / स.)  
 सचिव सिविल नगर

## सामान्य निर्देशिका:-

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-


1. यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-
  - (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
  - (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्वयंचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
5. एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।
7. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप

1  
सचिव सचिव नगर





22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग / क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम दर प्रभावी होगी।
23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
25. किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभारता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
  - (i) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि / सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि / सम्पत्ति के कृषि / अकृषि / आवासीय / अनावासीय / व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iii) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेन्ट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iv) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या / बन्दोबस्त संख्या / खसरा संख्या / खेवट संख्या / राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित कृषि / अकृषि भूमि / सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख / मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (v) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित संड़क-सड़कों / मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (vi) पक्षकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्टाम्प एकट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का भाग माना जायेगा।

  
 (जगदीश चन्द्र काण्डपाल)  
 अपर जिवाधिकारी,  
 जयपुर सिविल नगर !  
 उषम सिंह नगर !

सचिव विल्ट उत्तराखण्ड शासन देहरादून विल्ट अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/मॉनिटिंग/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 626/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2018-17 दिनांक 19.08.2018 द्वारा पुनःशिक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 19.08.2018 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्पत्ति) की दरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क भुगतान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

आदेश

(डा० नीरज खैरवाल)  
जिलाधिकारी/कलेक्टर,  
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर।

पत्र संख्या-529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि-निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विल्ट (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विल्ट (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/छावनी क्षेत्र/नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक/सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रतिलिपि।

(जगदीश शर्मा काण्डपाल)  
अपर जिलाधिकारी (नजूल)  
ऊधमसिंहनगर।

तहसील सिताराज के मुख्य मार्ग/नगरीय मोहल्लो/वार्ड की दरें।

सिताराज- नगरीय क्षेत्र

Page-1

क्र०	प्रमुख मार्ग / श्रेणी	वार्ड / मोहल्ला का नाम	सामान्य दर				बहुमुजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर परिया) प्रोवर्गीओ		गाण्डिक भवन सुपर परिया प्रति वर्गमीटर दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय		नैर गाण्डिक प्रथम श्रेणी (लिन्टरोपोश)		द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)	
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर) कृषि भूमि लाख / प्रोडेंड	सड़क से 100 मी० तक (रू० प्रोवर्गीओ)	100 मी० से अधिक (रू० प्रोवर्गीओ)	वर्गमीटर	वर्गमीटर	वर्गमीटर	वर्गमीटर	वर्गमीटर	वर्गमीटर	वर्गमीटर		
1	क	अमरिया चौराहे से मुख्य बाजार चौराहा (वार्ड न० 7 रामलीला वार्ड(आशिक)रम्पुरा (वार्ड न० 8 अग्रसेन ट्रस्ट वार्ड(आशिक)रम्पुरा (वार्ड न० 6 अग्रसेन ट्रस्ट वार्ड(आशिक)रम्पुरा	300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000				
			300	10000	8000	22000	38000	36000	12000	7000				
2	क	मुख्य बाजार चौराहे से महाराणा प्रताप चौराहा (वार्ड न० 3 अरपताल वार्ड, (आशिक)) रम्पुरा (वार्ड न० 4 इस्लामनगर, (आशिक)) सिताराज (वार्ड न० 5 तहसील वार्ड, (आशिक)) रम्पुरा (वार्ड न० 7 रामलीला वार्ड, (आशिक)) रम्पुरा (वार्ड न० 9 हथीखाना, (आशिक)) रम्पुरा	300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000				
			300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000				
3	क	महाराणा प्रताप चौराहे से खटीमा मार्ग (वार्ड न० 3 अरपताल वार्ड, (आशिक)) रम्पुरा (वार्ड न० 10 नगरपालिका वार्ड, (आशिक)) रम्पुरा	300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000				
			300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000				
4	क	महाराणा प्रताप चौराहे से बिन्दी तिराहा (वार्ड न० 10 नगरपालिका वार्ड, (आशिक)) रम्पुरा	300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000				
			300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000				
5	क	सिताराज-बिन्दी मार्ग (वार्ड न० 10 नगरपालिका वार्ड, (आशिक)) रम्पुरा	300	10000	8000	22000	37000	35500	12000	7000				
			150	6400	5000	18400	28000	25500	12000	7000				
5	ख	वार्ड न० 11 बंगाली बस्ती, (आशिक)) रम्पुरा	150	6400	5000	18400	28000	25500	12000	7000				
			150	6400	5000	18400	28000	25500	12000	7000				

★

4/11/19  
मुख्य विभागाधिकारी (वि. / प्र. /  
उपम सिताराज नगर


59

6	क	विज्डी गिराहे से अमरिया चौखटा [वार्ड नं0 8 अग्रसेन ट्रस्ट वार्ड (आशिक)] रम्पुरा [वार्ड नं0 9 हाथीखाना वार्ड (आशिक)] रम्पुरा	300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000
	ख	[वार्ड नं0 11 बंगाली बस्ती (आशिक)] रम्पुरा	150	6400	5000	18400	28000	25500	12000	7000
7	क	महाराणा प्रताप चौखटे से नकुलिया चौखटा [वार्ड नं0 3 अस्पताल वार्ड (आशिक)] रम्पुरा [वार्ड नं0 4 इस्लामनगर (आशिक)] सितारगंज	300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000
	ख	[वार्ड नं0 1 चिन्नीमजरा (आशिक)] सितारगंज [वार्ड नं0 2 जागा मस्जिद वार्ड (आशिक)] सितारगंज	190	7700	6200	19700	32500	31500	12000	7000

  
 अरुण कुमार (वि./रा.)  
 उद्यम सिंह नगर

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोल्डा की श्रेणी	गाउँ / मोल्डा का नाम	सामान्य दर				बहुमुखितीय		वाणिज्यिक भवन सुपर		शेर वाणिज्यिक	
			भूमि / समस्त	कृषि भूमि लाख / प्रोडो	सावक से 100 मी० तक (रु० प्रोवर्गमी०)	100 मी० से अधिक (रु० प्रोवर्गमी०)	आवासीय भवन से	रिश्त आवा. फलैट (सुपर एरिया) प्रोवर्गमी०	एरिया प्रति वर्गमीटर	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्दरपोश)
1	क	गाउँ नम्बर-1	105	3300	2600	15300	18500	17000	12000	7000		
		गाउँ नम्बर-2										
		ख	75	2400	1900	14400	19000	18000	12000	7000		
	ग	गाउँ नम्बर-4	70	2100	1700	14100	19000	18000	12000	7000		


✓

  
 उपर सिवारीकारी (वि. / रा.)  
 उपर सिवारीकारी (वि. / रा.)

(A)

क्र० सं०	प्रमुख भर्ना / मोठ्या की श्रेणी	वार्ड / मोठ्या का नाम	भूमि / संपत्ति		बहुयुजितीय आवासीय भवन ये स्थित आवा कलेंट (सुपर एरिया) प्रवर्तनी	वाणिज्यिक भवन सुपर		शेर वाणिज्यिक																																																
			कृषि भूमि लाख / प्रॉडेंट	साठक से 100 मी तक (रु० प्रवर्तनी)		100 मी से अधिक (रु० प्रवर्तनी)	एरिया प्रति वर्गमीटर दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टपॉय)	द्वितीय श्रेणी (टिन्पॉय)																																														
1	क	धाने के पीछे का क्षेत्र-वार्ड नम्बर 3	56	4500	3700	16500	18500	17000	12000	7000																																														
											ख	गढी पट्टी-वार्ड नम्बर 2	55	4400	3600	16400	18500	17000	12000	7000																																				
																					गढी पट्टी-वार्ड नम्बर 4	55	4400	3600	16400	18500	17000	12000	7000																											
																														मिलकभाकी- वार्ड नम्बर 5	55	4400	3600	16400	18500	17000	12000	7000																		
																																							जगदम्हा मन्दिर क्षेत्र-वार्ड नम्बर 6	55	4400	3600	16400	18500	17000	12000	7000									
																																																तपेडा- वार्ड नम्बर 7	55	4400	3600	16400	18500	17000	12000	7000

✓

  
 सितारागंज नगरपालिका (सि.सं.)  
 उपायुक्त सितारागंज

62


क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोला की श्रेणी	वार्ड / मोहला का नाम	सामान्य दर									
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)		वहुमुजोतीय आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर एरिया) प्रवर्गमी०	वाणिज्यिक भवन सुपर		शेर वाणिज्यिक				
			वृष्टि भूमि लाख / प्र० है०	सड़क से 100 मी० तक (रू० प्रवर्गमी०)		100 मी० से अधिक (रू० प्रवर्गमी०)	पुरिया प्रति वर्गमीटर दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिट्चरगेश)	द्वितीय श्रेणी (टिन्गेश)		
1	क	सितारराज-खटीमा बाईपास मार्ग अमरिया चौराहे से बिन्दी तिराहे तक (पण्डरी)	90	5200	4200	16700	25000	23000	12000	7000		
		सितारराज-खटीमा रोड बघौरा, चौकाघाट, जौहरा, परावेडा	45	4200	3400	16200	24000	22500	12000	7000		
		बिडीरा	38	3500	2800	15500	18000	17000	12000	7000		
		कल्याणपुर	38	3500	2800	15500	18000	17000	12000	7000		
		पण्डरी (पण्डरी चौराहे से दुरवा अस्पताल तक)	90	5800	4500	16700	26000	24500	12000	7000		




अध्यापक (वि. / रा)  
रविवर सिंह नगर !



2	क	सिताराज-किच्का रोड पणडसे	90	6500	5200	18000	27500	26000	12000	7000	
		सिताराज-किच्का मार्ग कुंवरपुर, सिसेया	38	3500	2800	15500	18500	17500	12000	7000	
		सिताराज-किच्का मार्ग कडंगरी	25	2000	1500	14000	15500	15000	12000	7000	
		गांठा, लीका	40	3600	2900	15600	22500	21000	12000	7000	
		दडहा	38	3500	2800	15500	20000	19000	12000	7000	
		भिटैया	38	3500	2600	15500	18000	17000	12000	7000	
		नकहा	38	3500	2800	15500	20000	19000	12000	7000	
		सिताराज-सिडकुल रोड बगपुरी, सिसेना, चौमहला	60	5000	4000	17000	24500	23000	12000	7000	
		3	क								

  
 सय सयसिकारी (सि)  
 सय सिस नय

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोटला की श्रेणी	वार्ड / मोटला का नाम	सामान्य दर									
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)		वस्तुनिष्ठ आवासीय भवन के स्थित आवाकलैट (सुपर एरिया) प्रवर्गमी०		वाणिज्यिक भवन सुपर		गैर वाणिज्यिक			
			कृषि भूमि लाख / प्र०हे०	सड़क से 100 मी० तक (रू० प्रवर्गमी०)	100 मी० से अधिक (रू० प्रवर्गमी०)	भवन के स्थित आवाकलैट (सुपर एरिया) प्रवर्गमी०	एरिया प्रति वर्गमीटर दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्दरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
4	क	सितारगंज-पीलीभीत रोड पण्डरी, गौरीखेडा, दहडा (आशिक)	50	4500	3500	16000	23000	21500	12000	7000		
		सरकडा	45	3800	3000	15500	17500	17000	12000	7000		
5	क	नकुलिया मार्ग थाकतिसौर, नकुलिया	40	3600	2800	15600	22500	21000	12000	7000		
	ख	कल्यानपुर	40	3800	3000	15800	23000	21500	12000	7000		
6	क	सितारगंज-विन्दी रोड बघारी, करघटा	35	3800	3000	15800	23000	21500	12000	7000		
7	क	सितारगंज-शक्तिफार्म मार्ग बरुवाबाग, देवनगर, कुसमोट अरविन्दर नगर	38	3600	2800	15600	18500	17500	12000	7000		
			34	2800	2200	14800	19000	17500	12000	7000		

  
 11/11/18  
 अरविन्दर नगर


क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोल्ता की श्रेणी	वार्ड / मोहल्ला का नाम	सामान्य दर						शेर काठिजिक	
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	कृषि भूमि लाख / १००है०	साइक से १०० मी० तक (रू० १००वर्गमी०)	१०० मी० से अधिक (रू० १००वर्गमी०)	बहुमुजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर एरिया) १००वर्गमी०	वाणिज्यिक भवन सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर	दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
	क	उकरौली	45	3750	3000	15750	23000	21000	12000	7000
	ख	तुकारिखौर	50	4000	3200	16000	23000	21000	12000	7000
	ग	बोहरा रसोईयापुर	30	2750	2200	14750	18000	17000	12000	7000

4

अध्यक्ष कारी (वि./रि.)  
जय सिंह नगर !



क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोल्दा की श्रेणी	वार्ड / मोहल्ला का नाम	सामान्य दर				वाणिज्यिक भवन सुपर	शेर वाणिज्यिक		
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	वृद्धि भूमि लाख / प्रोहै०	साइक से 100 मी० तक (रू० प्रवर्गमी०)	100 मी० से अधिक (रू० प्रवर्गमी०)			व्यवसायिक आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर दरिया) प्रवर्गमी०	वाणिज्यिक भवन सुपर
1	क	खिलारगंज-पीलीभीत मार्ग सावेपुर	32	2750	2200	14750	18000	16500	12000	7000
	खा	खिलारगंज-किछा मार्ग- मखवाण मलपुरी, नकटपुरा,	40	3000	2500	15000	19000	17000	12000	7000
2	क	खिलारगंज-विन्टी मार्ग कौशाअशरफ, विन्टी	30	2750	2200	14750	18000	16500	12000	7000
3	क	खिलारगंज-शक्तिधर्म मार्ग निर्मलनगर	30	3100	2500	15100	17500	16000	12000	7000

  
 कर्मक विकास अधिकारी (वि. / र. / ए.)  
 उषम सिंह नगर

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोल्ला की श्रेणी	वार्ड / मोहल्ला का नाम	सामान्य दर				वाणिज्यिक भवन सुपर	शैर वाणिज्यिक															
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	कृषि भूमि (प्र० हे०)	सड़क से 100 मी० तक (प्र० वर्गमी०)	100 मी० से अधिक (प्र० वर्गमी०)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर दरिया) प्र० वर्गमी०	वाणिज्यिक भवन प्रति वर्गमीटर	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिट्टरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)											
1	क	मोहम्मदगंज, तिलियापुर, मैनाकुण्डली, विद्याशकबर, बसगर, डियोली, खेमपुर, दीननगर, हल्दुवा, झनकट, तिधरी, करघटिया, पिपलियानाथ, कौथारतन, नवदिया, लामाखंडा, खैराना, इस्लामनगर, सुनखरी गोविन्दनगर, बैकुण्ठपुर, राजनगर, टैंगरनगर, सुरेन्दनगर, शुक्रहा, पिण्डासे	30	20	30	29	18	2750	1800	3000	2400	1450	14750	13800	15000	20500	16000	15000	15000	12000	12000	7000	7000
	ख	इटौवा, एधता, औदला, किलपुरी, कियानपुर, कुआखंडा, कैथुलिया, खमारिया, खुनसरा, मिर्धार, गुरुग्राम, गोविन्दपुर, टुकडी, डियोडार, दानचौडा, दूसरी, देवकली, दांदा, धूमखंडा, कौथारखंडा, ध्यानपुर, नगला, नबीनगर, नलई, पड़सैनी, पिपलहत्ता, पिपलिया, पिपलियाधरतौर, पूरनगढ, प्रहलादपलसिया, बरकौडांडी, बरा, बलखंडा, विष्टुईया, बिही, बिडीसी, भरीनी, भीकमपुर, भारसडा, मटिहा, मेराबा रायना, रसाली, राजनगर, रूदपुर, लालराखार, लालपट्टी, विघई विघुवा, सरौजा, सलमती, खलमता, साधुनगर, सुनखरा, सुनखरीकला, सुन्दरपुर, सैजनी, बिरिया (प्र० नानकमत्ता), बिरिया (प्र० किलपुरी), इरैया	18	29	2000	1500	14000	14200	12400	12000	7000												

★

24.11.08  
 उपम सिंह नगर

तहसील खटीमा के मुख्य मार्ग / नगरीय मोहल्लो / वार्ड की दरें।

खटीमा- नगरीय क्षेत्र

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला की श्रेणी	वार्ड / मोहल्ला का नाम	सामान्य दर						गैर वाणिज्यिक	
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	वहुमुजतीय आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर परिसर) प्रोवर्गमी०	वाणिज्यिक भवन सुपर परिसर प्रति वर्गमीटर	दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिट्टर/गोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)	
1	क	मुख्य चौराहा से सिलारगंज मार्ग-	220	9200	7400	21200	38000	36000	12000	7000
		वार्ड नम्बर 1								
		वार्ड नम्बर 8 (आशिक)								
		वार्ड नम्बर 9								
		मुख्य चौराहा से टनकपुर मार्ग-	220	9200	7400	21200	38000	36000	12000	7000
		वार्ड नम्बर 2 (दक्षिणी सीमा)								
		वार्ड नम्बर 3								
		वार्ड नम्बर 4 (आशिक)								
		वार्ड नम्बर 5 (आशिक)								
ख	खटीमा-बेलाघाट मार्ग-	वार्ड नम्बर 8 (आशिक)	220	9200	7400	21200	38000	36000	12000	7000
		मुख्य चौराहा से पीलीभीत मार्ग-	220	9200	7400	21200	38000	36000	12000	7000
		वार्ड नम्बर 5 (आशिक)								
ग	मुख्य चौराहा से टनकपुर मार्ग-	वार्ड नम्बर 8 (आशिक)	210	8500	6800	20500	37500	37000	12000	7000
		वार्ड नम्बर 7								
		मुख्य चौराहा से टनकपुर मार्ग-	210	8500	6800	20500	37500	36500	12000	7000
		वार्ड नम्बर 2 (उत्तरी सीमा)								

✍

24/11/18

मुख्य निरीक्षिका श्री. / र  
उपम सिंह नगर !

क्र०	प्रमुख भर्ग / मोल्ता की श्रेणी	वार्ड / मोल्ता का नाम	सामान्य दर						शेर वाणिज्यिक	
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	बहुमूल्यीय आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर एरिया) प्रवर्गमी०	वाणिज्यिक भवन सुपर	शेर वाणिज्यिक (लिन्टरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टिनपोश)			
कृषि भूमि लाख / प्रोडें०	सड़क से 100 मी० तक (रू० प्रवर्गमी०)	100 मी० से अधिक (रू० प्रवर्गमी०)	भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर एरिया) प्रवर्गमी०	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टिनपोश)			
1	क	खटीमा - सितारराज भर्ग - महोदिया,	45	4500	3500	16500	23500	21500	12000	7000
		कुमराह, पड़रिया	26	3300	2800	15300	18000	16500	12000	7000
		ज्ञानकट	30	3800	3300	15800	20500	18500	12000	7000
2	क	खटीमा-मैलाघाट भर्ग-खटीमा (नगरसीमा बाहर)	38	5000	3900	17000	24000	22000	12000	7000
3	क	खटीमा-मीलेशील भर्ग खेतलसन्दा खाम, नौगवाटपु, मुण्डेली थारुबेटा	38	4200	3400	16200	23500	21500	12000	7000
		खटीमा-सितारराज भर्ग-बागुसी	22	3300	2800	15000	19000	17000	12000	7000
4	क									

अध्यापक (वि.सं.)  
उद्यम सिंह नगर

25/11/18

+


5	क	खडीया - पीलीभीत मार्ग - बरी अजिनिया.	18	2250	1800	14250	16000	14500	12000	7000
		जमौर, पचपेडा, हल्दी,	20	2800	2200	14800	18500	17500	12000	7000
6	क	भगबुरी, रघुनिया,	18	2200	1750	14200	16500	14500	12000	7000
		सशोला,	21	2800	2250	14800	18000	17000	12000	7000
		बनगावा	18	2200	1750	14200	15500	14000	12000	7000
6	क	खडीया - सिताराज मार्ग - फुलेया, सजामडिया,	18	2500	2000	14500	15500	14000	12000	7000
		जगलजोगीठेर	22	3000	2400	15000	17500	16500	12000	7000

  
 11/11/18  
 सचिव, सिताराज (वि.)/स.प.  
 सचिव सिताराज




क्र०	प्रमुख मार्ग / मोल्ला की श्रेणी	वार्ड / मोल्ला का नाम	सामान्य दर									
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	कृषि भूमि लाख / प्रोडेंड	सड़क से 100 मी० तक (रू० प्रोवर्गमी०)	100 मी० से अधिक (रू० प्रोवर्गमी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर एरिया) प्रोवर्गमी०	वाणिज्यिक भवन सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर	दुकान / स्टॉररूम / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	शेर वाणिज्यिक (लिटरेचोश)	द्वितीय श्रेणी (टिनापोश)
7	क	खटीमा-सेलाघाट मार्ग-अनाकईवा,	28	3800	3000	15800	22000	20500	12000	7000		
			18	2200	1750	14200	16000	15000	12000	7000		
			खालीमहुवट, खिलडिया, सिसईया, बगुलिया									
8	क	खटीमा-टनकपुर मार्ग-अमाकं, गुडाई, बिल्टरी (चकरपुर)	40	4500	3500	16500	23500	21500	12000	7000		
			24	3000	2500	15000	17000	16000	12000	7000		
			30	3600	2800	15600	20000	18500	12000	7000		
			ख	गोसीकुआं, पचौरिया	17	2200	1750	14200	15500	14000	12000	7000
9	क	खटीमा-श्रीपुर विद्या मार्ग उमरकुचुई, विगाराबाग, उमरकला	20	2500	2000	14500	15500	14000	12000	7000		
			40	4500	3800	16500	23500	21500	12000	7000		
			25	3500	2800	15300	17000	16000	12000	7000		
	ख	कुटवा, अलाविदी, छिन्नी, श्रीपुरविद्या,	19	2500	1900	14500	16000	14700	12000	7000		

72


  
 राजेश कुमार शर्मा

क्र० सं०	प्रमुख भर्ग / मोल्ता की श्रेणी	वार्ड / मोहल्ला का नाम	सामान्य दर						गैर वाणिज्यिक	
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	कृषि भूमि लाख / १० है०	सड़क से १०० मी० तक (रू० प्रवर्गमी०)	१०० मी० से अधिक (रू० प्रवर्गमी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर एरिया) प्रवर्गमी०	वाणिज्यिक भवन सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
1	क	आ.वि.कालौनी	N/A	4500	3600	16500	24500	22000	12000	7000
	ख	ऊ.सीमडुवट	17	2200	1800	14200	16000	15000	12000	7000

  
 उत्तर प्रदेश शासक (वि./स.)  
 उद्यम सिंह नगर

क्र० सं०	प्रमुख भूगर्भ / श्रेणी	वार्ड / मोहल्ला का नाम	सामान्य दर				वाणिज्यिक भवन सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर दुकान / स्टोररूम् / कार्यालय	गैर वाणिज्यिक प्रथम श्रेणी (लिट्-रपोश)	द्वितीय श्रेणी (टिनपोश)	
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर) कृषि भूमि लाख / प्रोडो	सड़क से 100 मी० तक (रू० प्रोवर्गमी०)	100 मी० से अधिक (रू० प्रोवर्गमी०)	बहुमुजलीय आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर एरिया) प्रोवर्गमी०				अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
1	क	जरासुप्रतापपुर, बडिड्या	21	2800	2200	14800	17500	15500	12000	7000
	ख	सरपुडा, भौसिडा, जादोपुर, सुनपहर, भुडियादेशी, मोहम्मदपुर उलानी, दाह, नौसर, डाकी विचपुरी, गौहरपटिया, भुडियाथार, वादा, नगालालदाई, देवकला, खेतलसन्डामुफ्ताजए, बिरिया, कुआखेडा, बनकटिया भुडाकिशनी, नौगवानथ, वांदपुर, सैजना, दिया, गौंगी सुजिया, भौडरिया, गुरुखुडा, जोगीवर, नगला, सवौर दियोरी, रतनपुर, बानुसा, खेलाडाडिया, बिशीटा, भडाभुडिया, डेलधन, पुरनापुर, गंगापुर, भजगमी, समथना चन्देरी दसगडा	20	2400	1900	14400	15500	14500	12000	7000


  
 उषम सिंह नगर

जनपद-उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें-

नगरीय क्षेत्र	3500 रु0 प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु0 प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु0 प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु0 प्रति वर्गमीटर

नोट-1. औद्योगिक दरों में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत महुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु0 प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

★  
  
उप निबन्धक काशीपुर  
नगरपालिका

## गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है :-


नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में क्षर्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :-  $D=P(1-RD/100)^N$

$RD =$  भवन की औसत आयु

100

D = क्षर्य मूल्य (Depreciated Value)		P = वर्तमान मूल्य		N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)			
1 वर्ष	0.990	26 वर्ष	0.770	51 वर्ष	0.598	76 वर्ष	0.465
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392
19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366

  
 सचिव सिविल नगर (वि. / श.)

## सामान्य निर्देशिका:-

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/स्वाम्-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-

1. यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-

- (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,

2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।

3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

5. एकल व्यावसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।

7. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियाँ हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप

4

1  
सचिव, वित्त निगम, उत्तराखण्ड  
सचिव सिंह नगर

में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निर्धारित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निषादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।

8. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के खसरा नम्बरान की सूची जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित दूरी के मानक के अनुसार सर्किल दर सूची में संलग्न की जायेगी तथा उक्त में अंकित खसरा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेखपत्रों के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अन्यथा दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेखपत्र की प्रति स्ताम्प एक्ट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत परीक्षण की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी।

9. कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आकलित दर से होगा।

10. किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

11. बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

12. विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में स्वीकृत प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो, उसका विलेख में उल्लेख में किया जाना अनिवार्य होगा, एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाईसेन्स प्राप्त झपटभैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा उसकी स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाईसेन्स झपटभैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में लिन्टर पोश, टीनपोश अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

13. फ्लैट का तात्पर्य उल्लर प्रदेश ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट-1975 (यथा संशोधित यथा उल्लरखण्ड में लागू) के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।

14. भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मौहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।

15. वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई हास मूल्य देय नहीं होगा।

16. भवनों की आयु निर्धारित के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।

17. भूमि/सम्पत्ति बाण्ड्री वॉल के स्थित होने पर रूपया 1000/- रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

18. भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन रूपये-25000.00 प्रति बोरिंग की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

19. टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।


20. किसी भी औद्योगिक इकाई में में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति यथा लिन्टर पोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।

21. किसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एपूड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

4

2  
11/10/20  
सदर  
सहायक  
सदर  
सहायक  
सदर  
सहायक

- 22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम दर प्रभावी होगी।
- 23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
- 24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
- 25. किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
- 26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
  - (i) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iii) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेंट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iv) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित कृषि/अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (v) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित संडक-सडकों/मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (vi) पक्षकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्टाम्प एकट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का भाग माना जायेगा।

  
 (जगदीश चन्द्र काण्डपाल)  
 अथवा जिवाधिकारी,  
 अधीनस्थकर्मचारी (वि./वा.)  
 उपयुक्त सिविल नगर।